

उत्तर प्रदेश पुलिस
पुलिस उपाधीक्षक (सीधी भर्ती)
आधारभूत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम

अवधि-12¹/₂ माह

2018



डा० भीमराव अम्बेडकर उ०प्र० पुलिस
अकादमी, मुरादाबाद।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

कार्यालय ज्ञाप

संख्या-डीजी-दो-ब-28(15)2015

दिनांक:लखनऊ: मार्च 7, 2018

विषय: पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण।

पुलिस उपाधीक्षक सेवा नियमावली 1942 के नियम 22 (3) (क) के प्राविधानों के अधीन सीधी भर्ती के प्रत्येक अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान, राज्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में, 18 माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना होगा तथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016 -के नियम 22 (3) में प्रशिक्षण की अवधि के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि "शासन तथा विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।" उसके लिए विहित विषय में विभागीय परिक्षाओं को पास करना होगा। पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, वह जिला में तैनात किया जायेगा तथा उससे सहायक पुलिस अधीक्षक के लिए निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण में दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षक पर पुलिस ट्रेनिंग कालेज मैनुअल पार्ट-11 में निहित प्राविधान लागू होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी यदि पुलिस उपाधीक्षक सेवा नियमावली-1942 नियम 23 तथा संशोधित उ0प्र0पुलिस सेवा नियमावली-2016 के नियम-20 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

"निदेशक" से तात्पर्य अपर पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद से है।

1. प्रशिक्षण की रूपरेखा:-

| | | | |
|---|---|----------------|---------|
| 1 | डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद | 1 वर्ष 15 दिवस | 380 दिन |
| 2 | आर्मी अटैचमेन्ट | | 07 दिन |
| 3 | जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण | 05 माह | 146 दिन |
| | कुल | | 533 दिन |

2. पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षुओं के **डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद** में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो प्रशिक्षुओं को निर्धारित आवास, भोजनालय मनोरंजनगृह, पुस्तकालय एवं परेड ग्राउण्ड, अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास, चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र की जानकारी देगा।
3. आगमन के पश्चात् पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु के नामिनल रोल फार्म भरवाये जायेंगे जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा।
4. समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम सप्ताह में जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों एवम् आवासों के बारे में जानकारी करायी जायेगी।
5. प्रशिक्षण के प्रारम्भ में "जीरो वीक" आयोजित किया जायेगा। इस सत्र में प्रशिक्षुओं के साथ Ice Breaking Exercise का आयोजन किया जायेगा। "जीरो वीक" की अवधि में प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से वर्दी का रख-रखाव तथा उसका पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवम् विश्राम बनाना, विभिन्न पद के पुलिस अधिकारियों के पद चिन्हों का ज्ञान, परेड ग्राउण्ड, आफिसर्स मेस एवम् आफिसर्स हॉस्टल के नियमों व अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।

6. नापतौल

प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-जोख-ऊँचाई, वजन, कमर एवं नाभि के स्थल पर नाप किरसी सक्षम अधिकारी द्वारा (पुलिस उपाधीक्षक या उससे उच्च पद) द्वारा समपादित की जायेगी, जिसका उल्लेख नाप-जोख रजिस्टर में किया जायेगा। यह नाप प्रत्येक तीन माह में की जायेगी। इसका एक रजिस्टर रखा जायेगा। इसमें एक ही स्थान पर चारों तिमाहियों का नाप लिखा जायेगा। निदेशक इसे स्वयं देखेंगे। जिस प्रशिक्षु का B.M.I. (Body Mass Index) वान्छनीय (21-24) से कम / ज्यादा हो उस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि B.M.I. वान्छनीय स्तर पर आ जाये। इसी प्रकार कमर की नाप भी प्रशिक्षण के साथ कम हो जानी चाहिए। इस नाप-जोख का उद्देश्य यह देखना है कि प्रशिक्षुओं की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण के अपेक्षित सुधार हो रहा है या नहीं।

7. आवास

सभी प्रशिक्षुओं को निदेशक द्वारा निर्दिष्ट आवासों में ही रहना होगा। किसी प्रशिक्षु को निर्धारित हॉस्टल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8. आफीसर्स मेस

आफीसर्स मेस में निर्धारित परिधान ही पहना जायेगा। आफीसर्स मेस में किसी भी प्रकार का अनौपचारिक परिधान यथा—हाफ पेन्ट/शार्ट्स, ट्रेक सूट, स्लीपिंग सूट, कुर्ता पयजामा, बाथरूम स्लीपर, चप्पल आदि पहन कर प्रवेश नहीं किया जायेगा। भोजन, आफीसर्स मेस में निर्धारित स्थान पर बैठकर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर हॉस्टल में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। टेबिल बियरर प्रशिक्षुओं के भोजनालय सम्बन्धी एटीकेट्स की जानकारी देंगे।

9. सेवाओं के लिये भुगतान

निदेशक द्वारा जेनरेटर/इनवर्टर, हॉस्टल फण्ड की कटिंग की जा सकेगी, परन्तु यह कटौती किसी भी दशा में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। नाई, धोबी, मोची की सेवाओं के लिए कन्ज्यूमेबिल्स हेतु एक निश्चित धनराशि ली जायेगी।

10. स्क्वाड कमाण्डर

स्क्वाड कमाण्डर की नियुक्ति प्रशिक्षुओं में से की जायेगी। इनका यह दायित्व होगा कि आफीसर्स मेस से सभी प्रशिक्षुओं को एक टोली के रूप में अन्तः / बाह्य स्थल तक लेकर जायेगा तथा कक्षा की समाप्ति के उपरान्त अनुशासित तरीके से पूरी टोली को वापस आफीसर्स मेस में ले आयेगा।

11. पुस्तकालय एवं वाचनालय

पुलिस अकादमी के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में विविध पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं की व्यवस्था है, जिसका सदुपयोग प्रशिक्षुगण समय-समय पर करेंगे।

12. मॉडल पुलिस स्टेशन

पुलिस अकादमी में एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिसमें पुलिस थाने में प्रयोग में आने वाले सभी रजिस्टर एवं फार्म तथा अन्य विवरण अभिलेख एवं उपकरण रखे हैं। प्रशिक्षु इसका पूरा सदुपयोग करें।

13. मनोरंजन

प्रशिक्षण केन्द्र में आर्यप्रेक्षा गृह (सिनेमाघर) उपलब्ध हैं जिसमें प्रशिक्षुओं को प्रत्येक सप्ताह में एक फिल्म दिखाई जायेगी।

14. सूचना पट्ट

पुलिस अकादमी में प्रशिक्षुओं के क्लास रूम के पास, छात्रावास एवं आफीसर्स मेस के निकट उचित स्थान पर एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओं से संबंधित सूचनायें तथा आवश्यक आदेश-निर्देश चस्प्या किये जायेंगे।

15. सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका

पुलिस अकादमी में राजपत्रित छात्रावास में एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

16. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षुओं के कल्याण संबंधी वार्ता होगी एवं प्रशिक्षुओं से इनके संबंध में सुझाव/शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

17. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड एवं प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित वर्दी पहननी होगी।

18. खेलकूद

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी खेलकूद के लिए बॉलीबाल, फुटबॉल तथा तैराकी आदि हेतु व्यवस्था करेंगे।

19. प्रशिक्षण पंजिका(Training Reports)

पुलिस अकादमी में आगमन करते ही प्रत्येक प्रशिक्षु एक रजिस्टर बनायेंगे जिसे प्रशिक्षण पंजिका (Training Reports) कहा जायेगा। इस रजिस्टर में वह प्रति दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का सारांश दिनांक सहित अंकित करेगा। इस रजिस्टर को कोर्स डायरेक्टर प्रति सप्ताह देखेगा एवं अपनी टिप्पणी देगा। जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण, संवेदीकरण कार्यक्रम, कैम्पस कोर्स इत्यादि का विवरण भी इसमें दिनांक सहित अंकित किया जायेगा। जनपद में व्यावहारिक प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक भी करते रहेंगे। व्यावहारिक प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षु परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होंगे। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक साक्षात्कार तथा प्रशिक्षण पंजिका (Training Reports) के आधार पर 100 में से अंक देंगे।

20. अनुपस्थिति एवं अवकाश

(अ) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में निदेशक द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन दिन या उससे अधिक लगातार अवकाश पड़ने पर सामूहिक अवकाश दिये जाने का अधिकार निदेशक को है।

- (ब) प्रशिक्षुओं को केन्द्रीय पुलिस चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद अथवा जनपद के किसी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित किया जायेगा।
- (स) यदि कोई पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा एवं झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे प्रशिक्षु के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1999 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (द) पूरे प्रशिक्षण काल में 45 दिवस से अधिक किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थी को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रशिक्षु की परीक्षा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के साथ तीन माह के पूरक प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा के समय ली जायेगी। किसी भी कारण से यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण से अनुपस्थित अवधि 120दिवस या उससे अधिक होती है तो उसे अगले प्रशिक्षण सत्र में शामिल होकर पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (य) प्रशिक्षण अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन पुलिस अधिकारी द्वारा अनुशासनहीनता के प्रकरणों में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1999 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

21. महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण:-

- (1) महिला प्रशिक्षु द्वारा इस बात के लिये समस्त सम्भव सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए कि वह प्रशिक्षण के दौरान गर्भ धारण न करें। यदि वह गर्भवती है तो इसकी सूचना प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख को तत्काल देनी होगी।
- (2) प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख ऐसी महिला प्रशिक्षु को प्रशिक्षण जारी न रखकर अनुमन्य अवकाश/ विश्राम स्वीकृत करायेंगे।
- (3) गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- (4)- यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

22. श्रमदान, साज सज्जा एवं वृक्षारोपण

प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह में ही कराया जायेगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्ड, गार्डन आदि की सफाई व रख-रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में

बाह्य एवं अंतः विषयों के कालाशों में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण किसी भी दशा में नहीं कराया जायेगा। किसी भी अधिकारी के आवासीय परिसर इत्यादि में श्रमदान नहीं करवाया जायेगा।

23. पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षुओं को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे:-

- 1-प्रत्येक आन्तरिक एवं बाह्य विषयों के प्राप्तांकों में प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं
- 2-समस्त आन्तरिक/बाह्य विषयों के प्राप्तांकों के योग में अलग-अलग प्रथम आने वाले प्रशिक्षुओं
- 3-सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु
- 4-परेड कमाण्डर प्रथम, द्वितीय व तृतीय को पुरस्कृत किया जायेगा।
- 5-शासन द्वारा घोषित कोई अन्य पुरस्कार।
- 6-प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट राजपत्रित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।
- 7-सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु के चयन के लिए निदेशक द्वारा प्रदत्त साक्षात्कार के अंकों को भी जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उपनिरीक्षक अध्यापक, आई.टी.आई./पी.टी.आई. को भी संस्था के प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जायेगा।

24. पर्यवेक्षण

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, निदेशक के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। निदेशक द्वारा चयनित एक राजपत्रित अधिकारी प्रशिक्षण का सत्र निदेशक होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक पीरियड ट्यूटोरियल होगा। प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न टोलियों से लेकर एक क्लास बनाई जायेगी। एक क्लास टीचर नियुक्त होंगे, जो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का ट्यूटोरियल लेंगे और प्रशिक्षणार्थी की प्रगति से निदेशक को अवगत करायेंगे। आन्तरिक विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रभारी इण्डोर उत्तरदायी होंगे तथा बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होंगे।

25. आन्तरिक विषय के प्रशिक्षकों के लिए निर्देश

- 1- प्रशिक्षुओं के आत्म सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला

जाये। एक आत्म सम्मान वाला पुलिस उपाधीक्षक ही नागरिकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने में सक्षम होगा।

- 2- प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।
- 3- प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातान्त्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/ उद्दण्ड व्यवहार करने वाले या सामान्य तथा सभ्य समाज में अस्वीकार्य भाषा एवं आचरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।
- 4- प्रशिक्षुओं को जनता के व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अथवा अभियुक्त हो, अथवा घायल हो, अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/शवों को उठाते/परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।
- 5- अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्ट आचार का द्योतक है। भले ही हमारी कोई गलती न हो। उदाहरणार्थ-तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय "क्षमा करियेगा/ माफ करियेगा" इत्यादि सम्बोधन उचित है। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।
- 6- संस्था प्रमुख प्रत्येक 15 दिवस का टाइम टेबिल (समय सारणी) तैयार कराकर जारी करेंगे।
- 7- प्रशिक्षण में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।
- 8- प्रत्येक कालांश के लिए उच्चकोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। जो भी प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता कोई भी कक्षा लेंगे, उसके पूर्व, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश बनाकर इण्डोर प्रभारी को पहले ही उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम के अनुसार

ही चले तथा प्रत्येक कालांश में क्या पढ़ाया जाना है, वह विषय अवश्य पढ़ा दिया जाए।

- 9- विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।
- 10- प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा ड्यूटी, घटनास्थल निरीक्षण, विवेचना आदि कराने से पूर्व मौलिक सिद्धांत समझायें।
- 11- जिन विषयों में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण या **assignment** (कार्य आवंटित) कराया जाना है उन विषयों को संकाय अधिकारी/पुलिस अधिकारी प्रत्येक विषय (Topic) की सैद्धांतिक व्याख्या 10 मिनट से अधिक नहीं करेंगे। शेष 30 मिनट में व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical work) कराते हुए प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अभ्यास करायेंगे तथा प्रत्येक प्रशिक्षु के व्यावहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन सतत रूप से करते रहेंगे एवं तदनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण में पाये जाने वाली कमियों को दूर करेंगे। प्रयोगात्मक /assignment(कार्य आवंटित)कार्य का अभ्यास सैद्धान्तिक पाठ के उपरान्त प्रारम्भ कर दिया जाये। लम्बे समय तक अभ्यास के उपरान्त लगभग 10 माह के प्रशिक्षण के उपरान्त ही अन्तिम रूप से मूल्यांकन करके अंक दिये जायेंगे। प्रयोगात्मक /assignment (कार्य आवंटित)कार्य का मूल्यांकन जिस अभिलेख के आधार पर किया जाये उसे एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाय।
- 12- ऐसे समस्त प्रयोगात्मक अभ्यास, जिनमें प्रशिक्षु द्वारा कृत कार्यवाही, हरकत, भाव भंगिमा, भाषा, व्यवहारिकता इत्यादि मुख्य हैं, उनकी वीडियो ग्राफी की जाये। बाद में इसे दिखाकर उनकी गलतियों को सुधारा जाये।
- 13- ऐसे प्रश्न तैयार किए जायें, जिसके उत्तर में पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों।
- 14- प्रत्येक विषय की पाठ्य सामग्री हेतु प्रशिक्षणार्थी का मार्गदर्शन करें।
- 15- सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख-रखाव भी साफ-सुथरा हो।
- 16- प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।

- 17- कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।
- 18- कोई भी प्रशिक्षक/अतिथि प्रवक्ता कक्षा में न तो मोबाईल लेकर जाएंगे और न ही मोबाईल पर कोई वार्ता करेंगे। न ही किसी प्रशिक्षु को कक्षा में मोबाईल लेकर जाने की अनुमति होगी। मोबाईल को साईलेन्ट मोड पर करके रखने की अनुमति भी कतई नहीं होगी।
- 19- कोई भी प्रशिक्षु कक्षा में गुटखा, पान मसाला, पान इत्यादि का सेवन किसी भी दशा में नहीं करेगा।
- 20- कोई भी प्रशिक्षु क्लास छोड़कर, क्लास के समय किसी भी दशा में बाहर नहीं घूमेगा तथा यदि घूमता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 21- प्रशिक्षुओं में आत्मसम्मान की भावना जाग्रत की जायेगी। उनके आत्म सम्मान को ठेस न पहुँचायी जाये।
- 22- न्यायिक अधिकारियों को भी विशिष्ट विषयों पर वार्ता हेतु बुलाया जाय।
- 23- 03 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षुओं को कारागार का भ्रमण कराया जाय ताकि कैदियों के व्यवस्थापन एवं प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त कारागार के अधीक्षकों/ पुलिस उपमहानिरीक्षकों को कारागार एवं सुधार प्रशासन तथा तत्संबंधी अधिनियम/ नियम पढ़ाने हेतु आमंत्रित किया जाय ताकि वह कारागार की प्रबन्धन एवं प्रशासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी दें सकें। इन्हें पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूचना पर्याप्त समय पूर्व दे दी जाये।

26. बाह्य विषयों के प्राशिक्षकों के लिए निर्देश:-

- 1- प्रशिक्षुओं के आत्म सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें एक अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीन भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्म सम्मान वाला पुलिस अधिकारी ही नागरिकों से सम्मान पूर्व व्यवहार करेगा।
- 2- प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।

- 3- प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातान्त्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षुओं का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/उद्दण्ड व्यवहार करने वाले या सामान्य तथा सभ्य समाज में अस्वीकार्य भाषा एवं आचरण का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।
- 4- प्रशिक्षुओं को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अथवा अभियुक्त हो, अथवा घायल हो, अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/शवों को उठाते/परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।
- 5- अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/ खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्ट आचार का द्योतक है। भले ही हमारी कोई गलती न हो। उदाहरणार्थ— तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय "क्षमा करियेगा/ माफ करियेगा" इत्यादि सम्बोधन उचित है। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।
- 6- सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन (स्मार्टनेस) प्रदर्शित हो सके एवं उसका रख-रखाव साफ-सुथरा हो।
- 7- पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा उसे निर्धारित अवधि में मोटे तौर पर विभाजित करें।
- 8- पाठ को सुविधाजनक भागों (कालाँशों) में विभाजित करें।
- 9- विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
- 10- अपनी व्यक्तिगत Body movements (हाव-भाव) द्वारा नमूना दें।
- 11- विभिन्न हरकतों को एक-एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
- 12- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को सही करें। अनावयक टीका-टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिन्न न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में प्रशिक्षित करें।
- 13- फील्ड काफ्ट, एवं टैक्टिक्स तथा अन्य व्यावहारिक/ प्रयोगात्मक कार्य के अभ्यास गहनता से कराकर दक्षता पैदा की जाये। अभ्यास की वीडियो

ग्राफी की जाये ताकि प्रशिक्षुओं को उसे दिखाकर उनकी गलतियों को सुधारा जा सके।

14-किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी भी न दें।

15-वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।

16-शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें, जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हो।

17-खेल, तैराकी, एथलेटिक व कठिन बाधाओं को पार करने में रुचि उत्पन्न करायें।

18-प्रशिक्षणार्थियों की रुचि के अनुसार जूडो/कुश्ती/बाक्सिंग/कराटे आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।

19-बाह्य विषयों के सैद्धान्तिक पक्ष को विद्यालय में क्लास रूम में दृश्य-श्रव्य एवं अन्य प्रशिक्षण तकनीकों के माध्यम से समझाया जाये। वीडियो प्ले-बैक भी क्लास रूम में कराया जाये। यह परम्परा बन्द होनी चाहिये कि बाह्य विषयों का सैद्धान्तिक अंश भी ग्राउण्ड पर पेड़ के नीचे पढ़ाया जाय।

20-बाह्य विषयों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु सैन्य सहायक उत्तरदायी होंगे।

27. प्रशिक्षण के दौरान शांति-व्यवस्था ड्यूटी

28. पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के लिखित आदेश के बिना प्रशिक्षुओं को शांति-व्यवस्था ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा।
29. प्रत्येक प्रशिक्षु को अन्तः प्रशिक्षण एवं बाह्य प्रशिक्षण के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
30. निदेशक समय-समय पर प्रशिक्षुओं से संवाद करेंगे तथा उनके लिए ख्याति प्राप्त उपलब्ध प्रतिष्ठित अतिथि प्रवक्ताओं को बुलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
31. प्रशिक्षणार्थियों को एक निर्धारित प्रारूप में फीड बैक फार्म उपलब्ध कराया जायेगा जो अतिथि प्रवक्ता, विशिष्ट वार्ताकार एवं विषय विशेषज्ञ के व्याख्यान के उपरान्त उन्हें भर कर सम्बन्धित इण्डोर इन्चार्ज को उपलब्ध करायेंगे।
32. निदेशक मीडिया जगत के ख्याति प्राप्त पत्रकार गणों (प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक) को मीडिया इन्टरफेस एवं जन सूचना विषय पर व्याख्यान देने हेतु आमन्त्रित करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस एवं मीडिया के संवाद के संबंध में परिबोध करायेंगे।

33-(क)-कालाँश विवरण

| | |
|--|-----------------|
| प्रशिक्षण की अवधि 12 1/2 माह | 380 दिवस |
| रविवार अवकाश | 54 दिवस |
| द्वितीय शनिवार | 13 दिवस |
| राजपत्रित अवकाश | 24 दिवस |
| संवेदीकरण कार्यक्रम एवं कैप्सूल कोर्स (परिशिष्ट-3) | 28 दिवस |
| परीक्षा | 12 दिवस |
| प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल दिवस | 249 दिवस |
| (क)- अन्तःकक्ष प्रशिक्षण | |
| कालाँश प्रतिदिन | 06 |
| कुल कालाँश की संख्या | 1494 |
| एक कालाँश की अवधि | 40 मिनट |
| (ख)- बाह्य प्रशिक्षण | |
| कालाँश प्रतिदिन | 04 |
| कुल कालाँश की संख्या | 388 |
| एक कालाँश की अवधि | 40 मिनट |

नोट:-बाह्य प्रशिक्षण में वास्तविक आंशिक कार्य दिवस (बृहस्पतिवार)

54 2=108 कालाँश

नोट :-(01) लम्बी दूरी (10-15 कि०मी०)की क्रॉसकंट्री रेस द्वितीय शनिवार की प्रातः कराई जायेगी ।

- (02) सायंकाल निर्धारित कालाँशों के बाद एक अतिरिक्त कालाँश खेल का होगा जिसका औपचारिक उल्लेख कालाँशों के सम्पूर्ण विवरण में नहीं दिया गया है ।
- (03) आवश्यकता पडने पर तैराकी का प्रशिक्षण/अभ्यास बृहस्पतिवार की प्रातःकाल भी कराया जा सकता है ।
- (04) मौसम को देखते हुए पाठ्यक्रम में स्थानीय स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है ।
- (05) निदेशक, डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद अपने विवेकानुसार प्रशिक्षणार्थियों को समय-समय पर योगाभ्यास मौसम के अनुसार करायेंगे ।

34-(ख)-प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दृष्टि में :-

| क्र० सं० | विषय | कालाँश | पूर्णांक |
|----------|---------------------------|--------|----------|
| 1 | अन्तः कक्ष कालाँश | 1494 | 1500 |
| 2 | बाह्य कक्ष कालाँश | 888 | 900 |
| 3 | निदेशक द्वारा प्रदत्त अंक | — | 100 |
| | कुल | — | 2500 |

नोट- लगभग 03 माह का "फाउण्डेशन कोर्स" उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ में प्राप्त किया जाता है।

35- सेमिस्टर अनुसार अन्तिम परीक्षा के विषयों, अंको एवं कालाँशों का विवरण अ- आन्तरिक विषय

| क्र० | विषय | कालाँश | | | अंक | | |
|------|--|-------------------|-----------------|-----|-------------------|-----------------|-----|
| | | सैद्धां- न्तिक | प्रयोग ात्मक | योग | सैद्धां- न्तिक | प्रयोग ात्मक | योग |
| | प्रथम सेमिस्टर - | | | | | | |
| 1 | आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप | 50 | 0 | 50 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | भारतीय संविधान | 60 | 0 | 60 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | लैंगिक न्याय एवं मानवाधिकार | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | अपराधशास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीड़ा शास्त्र | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | पुलिस रेगुलेशन कम्प्यूटर | 80 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| | द्वितीय सेमिस्टर :- | | | | | | |
| 7 | भारतीय दण्ड विधान | 80 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 |
| 8 | दण्ड प्रक्रिया संहिता | 80 | 10 | 90 | 75 | 25 | 100 |
| 9 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्साशास्त्र | 60 | 24 | 84 | 50 | 25 | 75 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | कम्प्यूटर | | | | | | |
| | तृतीय सेमिस्टर :- | | | | | | |
| 11 | थाना प्रबन्धन एवं जी0आर0पी0 | 40 | 10 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 12 | अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण | 80 | 40 | 120 | 50 | 50 | 100 |
| 13 | न्यायशास्त्र, न्यायालय व्यवस्था एवं अभियोगों का विचारण | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 14 | विविध अधिनियम | 80 | 20 | 100 | 50 | 25 | 75 |
| | कम्प्यूटर | | | | | | |
| | चतुर्थ सेमिस्टर :- | | | | | | |
| 15 | कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थापना, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबन्धन | 70 | 0 | 70 | 75 | 0 | 75 |
| 16 | पत्र व्यवहार, अधिष्ठान एवं पुलिस लाइन प्रबन्धन | 70 | 20 | 90 | 75 | 25 | 100 |
| 17 | वित्तीय नियम, बजट तथा लेखा | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | प्रबंध के सिद्धांत एवं मानव मनोविज्ञान | 50 | 20 | 70 | 50 | 25 | 75 |
| 19 | अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सामंजस्य | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 20 | कम्प्यूटर | 100 | 50 | 150 | 60 | 40 | 100 |
| | कुल योग | 1250 | 244 | 1494 | 1200 | 300 | 1500 |

नोट:-कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कालाँश सभी सेमेस्टर में चलाये जायेंगे। किन्तु परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर में होगी।

ब-बाह्य विषय

| कं०सं० | विषय | कालाँश | अंक |
|-------------------|---|------------|------------|
| 01- | पदाति प्रशिक्षण | 120 | 125 |
| 02- | शस्त्र प्रशिक्षण | 90 | 75 |
| 03- | शस्त्र फायरिंग | 30 | 75 |
| 04- | शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण/योगा | 320 | 300 |
| 05- | यातायात नियन्त्रण ड्रिल | 22 | 25 |
| 06- | भीड़ नियन्त्रण/बलवा ड्रिल | 36 | 25 |
| 07- | फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग | 65 | 100 |
| 08- | अश्वारोहण | 115 | 75 |
| 09- | मोटर ड्राइविंग | 30 | 50 |
| 10- | तैराकी | 60 | 50 |
| योग कालाँश | | 888 | 900 |

द- संवेदीकरण कार्यक्रम :-

संवेदीकरण हेतु निम्न संस्थाओं का भ्रमण-

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1 | सी०बी०आई० अकादमी गाजियाबाद | 01 दिन (03माह बाद) |
| 2 | केन्द्रीय एवं जिला कारागार | 02 दिन (03 माह बाद) |
| 3 | केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल यथा- सी०आर०पी०एफ०, बी०एस०एफ०, आई०टी०बी०पी० के ग्रुप सेण्टर/ क्षेत्रीय मुख्यालयों का भ्रमण | 03 दिन (03 माह बाद) |
| 4 | एस०एस०बी०-- फरंटियर मुख्यालय लखनऊ एवं बॉर्डर की इकाईयाँ | 03 दिन (04 माह बाद) |
| 5 | सेना के साथ सम्बद्धता | 07 दिन (अन्तिम परीक्षा के बाद) |
| 6 | भारत भ्रमण | 10 दिन (कोर्स के लगभग मध्य में) |

य- कैपसूल कोर्स-

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | राजा टोडरमल भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई | 06 दिन (04 माह बाद) |
| 2 | इन्टीयूट आफ ज्यूडीशियल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च लखनऊ | 03 दिन (04 माह बाद) |
| 3 | जन सूचना एवं मीडिया इन्टरफेस | 18 कालाँज |
| 4 | <i>pattern of BSF and NSG)</i> | |
| 5 | <i>Urban intervention with demonstration (प्रदर्शनों के साथ शहरी हस्तक्षेप)</i> <i>Hostage Rescue (बन्धकों की विमुक्ति)-रेस्क्यू की परिभाषा, रेस्क्यू के प्रकार, उदाहरण, रेस्क्यू के सामान्य तकनीकी, रेस्क्यू के विभिन्न चरण तथा ऑपरेशन, रेस्क्यू की महत्ता, रेस्क्यू में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण</i> | 02 दिवस |

36. प्रस्तर-33 एवं 35 में दिये गये विषय विवरण के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अन्तः विषयों के पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु परिशिष्ट-01 तथा बाह्य विषयों के पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु परिशिष्ट-02 में दी गई है।


37. अकादमी में प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणों को विभिन्न सम-सामयिक विषयों पर संवेदीकरण एवं कैपसूल माड्यूल कराये जायेंगे। इनका विवरण प्रस्तर-35 (द) एवं (य) में दिया गया है।

38. अन्तः एवं बाह्य प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को 05माह की अवधि के लिये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नियत जनपदों में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण की विस्तृत रूपरेखा परिशिष्ट-04 में दी गयी है।

39. 05 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षु निदेशक द्वारा निर्धारित अवधि (1से 2सप्ताह) के लिये डीब्रीफिंग हेतु पुनः डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आयेंगे। इस दौरान उनके द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण पर प्रस्तुतीकरण किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा जिलों में हो रहे अच्छे कार्य (good practices) के बारे में भी अपने अनुभव के बारे में बताया जायेगा। इस अवधि के समाप्ति पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उन्हें जनपदों में नियुक्त किया जायेगा।


40. पाठ्यक्रम में संशोधन

पाठ्यक्रम में किसी संशोधन की आवश्यकता समझी जायेगी तो पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, विचारोपरांत निर्णय लेकर संशोधन हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र० को प्रस्ताव भेजेंगे।


7/3/18

(ओ०पी०सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि— पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वे कृपया सर्व सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों को इसकी प्रतियाँ अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।


7.3.18

(एच०आर०शर्मा)
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पुलिस उपाधीक्षक (सीधी भर्ती) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु

01)-आधुनिक भारत में पुलिस का स्वरूप/राज्य पुलिस व्यवस्था एवं उसका स्वरूप-

कालांश: 50

पूर्णांक: 75

1. सामाजिक, आर्थिक वातावरण एवं पुलिस पर प्रभाव
 - 1 भारतीय समाज में व्यक्ति एवं परिवार।
 - 2 जाति, धर्म, समुदाय एवं वर्ग का भारतीय समाज में महत्व।
 - 3 कृषकीय व्यवस्था (Agrarian Structure) में परिवर्तन एवं ग्रामीण समाज पर उसका प्रभाव।
 - 4 भारतीय समाज का बदलता सामाजिक, आर्थिक परिवेश से पुलिस के समक्ष उभरती चुनौतियाँ एवं पुलिस की भूमिका

2. पुलिस का स्वरूप :-

1. वर्तमान पुलिस के संगठन का इतिहास
2. पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :- साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीय एवं आर्थिक असंतुलन, नक्सलवाद, आतंकवाद, राजनैतिक हस्तक्षेप, तकनीक विकास, साइबर काइम, सामाजिक गतिकी, बढ़ती जनसंख्या, संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध

3. पुलिस का संगठन :-

1. (अ) उ०प्र० पुलिस का संगठन :-

राज्य- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, जोन, परिक्षेत्र, जिला, राकिंल (क्षेत्र) थाना, चौकी तथा ग्राम स्तर, रिजर्व पुलिस लाइन, पुलिस कण्ट्रोल रूम, अभियोजन शाखा, एल०आई०यू०, विशेष जाँच शाखा, महिला अपराध सेल, महिला पुलिस थाना, काइम ब्राँच (डी०सी०आर०बी०,) स्पेशल इन्व्वायरी, फ्रील्ड यूनिट, एस०ओ०जी०, सर्विलान्स सेल, ए०एच०टी०यू०, विशेष पुलिस अधिकारी, व अन्य जिला स्तर की इकाइयाँ।

(ब)-विशेष इकाइयाँ:-

उ०प्र० पी.ए.सी. मुख्यालय लखनऊ, भारतीय रिजर्व बटालियन (आई.आर.बी.) एस०टी०एफ०, ए०टी०एस०, महिला पावर लाईन (1090), महिला सम्मान

प्रकोष्ठ, स्पेशल ब्राँच, अभिसूचना मुख्यालय, सुरक्षा शाखा, अभियोजन निदेशालय, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० पुलिस कण्ट्रोल केन्द्र, एफ०एस०एल०, एस०सी०आर०बी०/फिंगर प्रिन्ट्स ब्यूरो, एस०पी० एम०वी०ओ०, काइम ब्रांच सी०आई०डी०, राजकीय रेलवे पुलिस, पुलिस दूरसंचार, यातायात निदेशालय, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० लखनऊ एवं उनके अधीनस्थ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सतर्कता ब्यूरो, अग्निशमन सेवायें, भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक अपराध शाखा, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT), एस०आई०बी० को-ऑपरेटिव, खाद्य प्रकोष्ठ, फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पावर कारपोरेशन (विजिलेन्स एवं प्रवर्तन इकाई), रुल्स एण्ड मैनुअल, कारागार, उ०प्र० पुलिस आवास निगम, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ट्रेड इन्फोर्समेन्ट विंग, सेंटरल स्टोर कानपुर, सेंटरल स्टोर आयुध (सीतापुर)

2.-केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थान:-

- | | |
|--|------------------------------|
| 1- आई.बी. | 2- सी.बी.आई. |
| 3- बी.पी.आर.एण्ड.डी. | 4- सी.आर.पी.एफ. एवं आर.ए.एफ. |
| 5- बी.एस.एफ. | 6- आर.पी.एफ. |
| 7- सी.आई.एस.एफ. | 8- एन.पी.ए. |
| 9- एन.आई.सी.एफ.एस. | 10- एन.सी.आर.बी. |
| 11- एन.आई.ए. | 12- नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो |
| 13- आर.एन.डब्ल्यू. | 14- आर.पी.एस.एफ. |
| 15- एस.एस.बी. | 16- एन.एस.जी. |
| 17- प्रवर्तन निदेशालय | 18- एस.पी.जी. |
| 19- आई.टी.बी.पी. | |
| 20- संदिग्ध अभिलेखों के सरकारी परीक्षण के कार्यालय-शिमला, कोलकता, हैदराबाद | |
| 21- सेन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो | |
| 22- सेन्ट्रल फोरेसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद | |
| 23- एन.डी.आर.एफ. | |
| 24- ब्यूरो आफ सिविल एवीएशन सिक्वोरिटी (बी.सी.ए.एस.) | |
| 25- डी.सी.पी.डब्ल्यू. एवं अन्य | |

4. उत्तर प्रदेश शासन का संगठन :-

- (क) मुख्य सचिव एवं राज्य के अन्य विभाग
(ख) गृह विभाग का संगठन
(ग) पुलिस-प्रशासनिक सम्बन्ध

5. राज्य निर्वाचन आयोग

02)-भारतीय संविधान-

कालाँश: 60

पूर्णांक: 75

(खण्ड क)-भारतीय संविधान :-

1. भारतीय संविधान:-

1. निर्माण का इतिहास, विशेषतायें, उद्देशिका
2. नागरिकता
2. मौलिक अधिकार :-
अनुच्छेद 12 से 35 तक
3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व :-
अनुच्छेद 37 से 51 तक
4. मूल कर्तव्य :-
अनुच्छेद 51 ए
भाग-V अध्याय-1, केन्द्रीय कार्य पालिका- राष्ट्रपति-सांसद, ऐक्ट-123 भी
अध्याय-2- राज्य कार्यपालिका उपरोक्तानुसार,
5. सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकार, उन्मक्तियां :-
अनुच्छेद 105, 194
6. भारतीय न्यायिक व्यवस्था- उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय :-
अनुच्छेद 124-127, 131, 132, 214 से 217, 226
7. विधि का शासन एवं अपराधिक न्याय प्रशासन, लोक हितवाद (PIL)
8. लोक अदालत
9. संघ/ राज्यों के बीच सम्बन्ध :-
अनुच्छेद 256 से 258, 262, 263, 301, 302, सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियाँ
10. सेवायें-308 से 313, लोक सेवा आयोग- 315 से 323
11. प्रशासनिक अधिकरण :-
अनुच्छेद 323क, ख
12. आपात उपबन्ध :-विध्वंसात्मक शक्तियों का विकास, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अतिवाद, आतंकवाद आदि:-

- अनुच्छेद 352, 353, 355, 356, 358, 359
12. राष्ट्रपति / राज्यपाल को संरक्षण :-
अनुच्छेद 361, 361क
13. पंचायती राज व्यवस्था :-
अनुच्छेद 371
14. आरक्षण, वर्तमान व्यवस्था (केन्द्र व राज्य सरकार) नवीनतम शासनादेशों एवं माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय
15. आर्टिकल 368- संविधान संशोधन
16. यू0टी0-पार्ट VIII
17. लोकल बोडीज- पार्ट IX, IXA, IXB,

03)-लैंगिक भेदभाव एवं मानवाधिकार-

कालाश: 50

पूर्णांक: 50

खण्ड क-लैंगिक भेदभाव

- महिलाओं की स्थिति, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं सामाजिक परिवेश
- लैंगिक संवेदीकरण
- महिलाओं के प्रति हिंसा- प्रकृति एवं विस्तार :-
 - छेड़खानी व उत्पीड़न
 - घरेलू हिंसा
 - दहेज उत्पीड़न/ दहेज मृत्यु
 - बलात्कार
 - महिलाओं के प्रति अन्य हिंसा
- महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण :-
 - पुरुष प्रधान समाज
 - फाइनेंस-आर्थिक निर्भरता
 - दहेज
 - विवाहेत्तर संबंध (Infidelity)
 - अत्यधिक मद्यपान (Alcoholism)
 - प्रतिरोध की क्षमता का अभाव
 - कानून की जानकारी न होना
 - परिवार के नियंत्रण का अभाव
- महिलाओं के प्रति हिंसा में पुलिस की प्रतिक्रिया-
 - त्रुटिपूर्ण अवबोधन (Faulty Perception) के कारण पुलिस की प्रतिक्रिया में कमी
 - थाना स्तर पर पीड़ित महिला के साथ अपेक्षित व्यवहार की कमी

- (स) महिला सम्बन्धी अपराधों की धाराओं एवं अन्य निर्देशों की अध्यावधिक जानकारी न होना
- (द) विवेचना में कानून की जानकारी का समुचित प्रयोग न किया जाना
- (य) वैज्ञानिक प्राविधानों की जानकारिं एवं उनका प्रयोग न करना

6. पीड़ित महिला के साथ बर्ताव-

- (अ) पीड़ित महिला की मनोदशा को सामान्य रूप से समझना
- (ब) बलात्कार एवं छेड़खानी (Molestation) की शिकार महिलाओं की मनोदशा को विशेष रूप से समझना।
- (स) पीड़ित महिला के साथ बातचीत तथा उसकी पीड़ा को दूर करने में व्यवहार एवं वार्तालाप कौशल

7. पुलिस संगठन में लैंगिकता (Gender) के मुद्दे-

- (अ) महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस के साहसपूर्ण कार्य करने की क्षमता के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण अवधारणा
- (ब) महिला आरक्षियों की समस्याएं
- (स) वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुरुष सहयोगियों द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ बरताव
- (द) पुरुष पुलिस अधिकारी की महिला पुलिस कर्मियों के साथ व्यवहार में लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता
- (य) पुरुष एवं महिला पुलिस कर्मियों के कर्तव्य आवंटन में भेदभाव के फलस्वरूप संगठन के मनोबल एवं समग्र सार्थकता पर प्रभाव

- 8. ए-कार्य करने के स्थान पर लैंगिक समानता
बी- कार्य करने के स्थान पर महिला कर्मचारी के साथ उत्पीड़न किये जाने के संबंध में वैधानिक
- 9. पीड़ित महिला को मुँत कानूनी सहायता उपलब्ध कराने विषयक विधि (महिला सहायता प्रकोष्ठ सी.बी.सी.आई.डी. उ0प्र0 लखनऊ)
- 10. पीड़ित महिला हेतु काउन्सिलिंग, महिला हेल्प लाइन के संबंध में सामान्य जानकारी

नोट: जब भी आधारभूत प्रशिक्षण में अन्य विषयों में विषय को सामग्री अवसर प्रदान करें, उपरोक्त सभी बिंदुओं पर बता दिया जाये।

खण्ड-ख-मानवाधिकार

- 1. मानवाधिकार की अवधारणा एवं उसका महत्व, विकास व सांस्कृतिक उद्भव
- 2. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज एवं मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पहल।

3. मानवाधिकार एवं संवैधानिक प्रावधान— रूपरेखा, संविधान के भाग—3, 4 एवं 4ए में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ।
4. पुलिस द्वारा मौलिक अधिकारों की योजना में अनुच्छेद 20 व 21 की विशेष भूमिका ।
5. पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में मानवाधिकार की व्यवस्था:—
 - (1) नागरिकों की गिरफ्तारी के समय
 - (2) विवेचना के दौरान गवाहों से पूँछताँछ के समय
 - (3) पीड़ित द्वारा न्याय के लिए गुहार करते समय
6. पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, गैर कानूनी हिरासत, अवैधानिक पुलिस अभिरक्षा, पुलिस हिरासत में बलात्कार, हत्या व अन्य उत्पीड़न, कारण व निवारण ।
7. विशिष्ट परिस्थितियों यथा:— जातीय, साम्प्रदायिक विवाद, नक्सल ऑपरेशन, एण्टी डकैती ऑपरेशन आदि में मानवाधिकारों से सम्बन्धित हनन के प्रकरण ।
8. मानवाधिकार हनन की शिकायतें—जांच व निवारण । जनहित विवादों व न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से दोषी राजकीय कर्मचारी द्वारा मानवाधिकार हनन के शिकार व्यक्तियों की क्षतिपूति हेतु भुगतान ।
9. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (धारा 2,3,4,5,12,18,13,14,36:1,36:2) एवं संशोधित 2006 अन्य सम्बन्धित विधिक, प्रशासनिक प्राविधान ।
10. राष्ट्रीय एवं राज्य के मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली व उपादेयता ।
11. राष्ट्रीय मानवाधिकार, अन्तरराष्ट्रीय एवं संस्थाएं — एमनेस्टी इन्टरनेशनल, रेडक्रास, पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबरटीज आदि की प्रबोधक भूमिका ।
12. राज्य पुलिस मानवाधिकार प्रकोष्ठ ।
- 13— मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उनका महत्त्व, संवैधानिक प्राविधान
- 14— पीड़ित, परिवादी, राक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय मानवाधिकार संबंधी निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय ।
- 15— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बालकों एवं अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोगों के कार्य एवं शक्तियाँ ।
- 16— अभिरक्षा में मृत्यु, बलात्कार एवं अन्य अपराधों में पुलिस विवेचनाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश ।
- 17— मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका
 - मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध सामान्य शिकायतें (केस स्टडीज)
 - मानवाधिकारों की संरक्षक के रूप में पुलिस की छवि को सुधारने की आवश्यकता एवं पहल
18. विगत वर्षों में मानवाधिकार से संबंधित प्रकाशित रिपोर्टों का अध्ययन ।

19. मानवाधिकार से संबंधित केस लॉ एवं केस स्टडी:-

1. खडक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए0आई0आर0 1963 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 1925)

मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र निगरानी के नाम पर किसी व्यक्ति को घर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहाँ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टतः उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है।

2. परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2039)

मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

3. नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (एस0सी0सी0 1993 पृष्ठ 746)

मा0 उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है और यदि इस दौरान राज्य के सेवकों अर्थात पुलिस कर्मियों द्वारा उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में राज्य को अपने सेवकों द्वारा किए गए उक्त दोषपूर्ण कार्य के लिए उस नागरिक को प्रतिकर देना होगा।

4. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099/ सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743 हथकड़ी का प्रयोग

इन विधिक व्यवस्थाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा।

5. दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642 जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981 मानवाधिकार

इन विधिक व्यवस्थाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं मानवाधिकार के संरक्षण हेतु निर्देश दिए हैं।

6. विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान (एआईआर 1997 (6) एससीसी 241)

कामकाजी महिलाओं का कार्य स्थल पर उत्पीड़न रोके जाने विषयक एवं लैंगिक उत्पीड़न न किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश दिये हैं।

7. महबूब बाबा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011(74) एसीसी 600 (एसीसी)

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अभिरक्षा में मौत (Custodial death) सभ्य समाज का सबसे घृणित अपराध है तथा देश के सभी राज्यों के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों को अभिरक्षा में होने वाली मौतों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं।

8. खेतड़मजदूर चेतना संगठन बनाम मध्य प्रदेश (ए0आई0आर0 1995 एससी)

मा0 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पुलिस का कर्तव्य अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों की सुरक्षा करना है न कि उन्हें यातना देना।

10. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2014) 9 एससीसी 129

पुलिस इन्काउन्टर में मृत्यु एवं गंभीर चोटों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना में अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देश।

उद्देश्य संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का ज्ञान कराना है।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी पुलिस कार्य हेतु मौलिक अधिकारों की पवित्रता को समझने में योग्य होना चाहिये और उसे असंवैधानिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों पर दृष्टि रखने के लिए उत्तरदायी संस्थाओं एवं प्राधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए

04)–अपराधशास्त्र, दण्ड विज्ञान एवं परिपीड़ा शास्त्र–

कालांश: 50

पूर्णांक: 50

अपराध शास्त्र की आधुनिक धारणा का परिचय, अपराध की परिभाषा।

1. अपराधशास्त्रीय कारण (Criminological Factors):-

- 1- मनोवैज्ञानिक
- 2- भौगोलिक
- 3- आर्थिक
- 4- पारिवारिक
- 5- राजनैतिक
- 6- शिक्षा सम्बन्धी
- 7- संचार माध्यम
- 8- सामाजिक कुरीतियाँ
- 9- युद्ध तथा क्रान्ति
- 10- वंशानुगत (पैतृकता)

- 11- शारीरिक दोष
- 12- मानसिक दोष
- 13- बेरोजगारी
- 14- कुसंगति

1. अपराध एवं अपराधी के प्रकार

2. दण्ड विज्ञान (Penology):-

1. दण्ड विज्ञान की अवधारणा
2. परिवीक्षा
3. पैरोल
4. सुधार गृह संस्थान
5. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं जो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं से समन्वय
6. विभिन्न प्रकार की जेलों की सामान्य जानकारी
7. पुनरवर्तिता (Recidivism):- हतोत्साहित करने के उपाय
8. दण्ड के सिद्धान्त एवं प्रकार

4. परिपीडा शास्त्र (Victimology):-

1. अवधारणा एवं लक्ष्य
2. अपराध से पीड़ित व्यक्ति के लिये क्षतिपूर्ति
3. पुनर्स्थापन

05)-मानचित्र पठन, प्लॉन ड्राइंग, रेडियो संचार
तथा प्राथमिक चिकित्सा-

कालांश: 100

पूर्णांक: 100

सैद्धान्तिक

कालांश: 50

पूर्णांक: 50

1. मैप रीडिंग :-

1. मैप रीडिंग का अर्थ एवं इससे लाभ
2. दिशाओं और उप दिशाओं का ज्ञान
3. दिशायें ज्ञात करने के साधन
4. वियरिंग का परिवर्तन करना
5. अन्तर की व्याख्या और वियरिंग का ज्ञान
6. सांकेतिक चिन्ह
7. पैमाना
8. स्थान, स्थिति
9. नक्शों का बनाना, दिशाओं का दर्शाना एवं दिशानुकूल रखना
10. मानचित्र पर पृथ्वी की बनावट दिखाना

11. परिभाषायें
12. प्रिज्मेटिक कम्पॉस
13. जी०पी०एस०, गुगल,
14. गुगल के फोटोग्राफों का अध्ययन करके उसकी व्याख्या करना
15. गुगल फोटो में किसी कैम्पस/ संस्थान को ढूँढना।
16. किसी स्थान पर अपराधी होने की सूचना पर नक्शों के रूट निश्चित करना तथा रास्ते की फोटोग्राफी बनाना।
17. SOI(सर्वे आफ इण्डिया) के मैप (SOI से प्राप्त कर लिये जायें)
 - 1: 25000
 - 1: 50000
 - 1: 125000
 - 1: 1000000

18. Survey of India के मैप पर विभिन्न भौगोलिक/ मानवीय संरचनाओं को पहचानना एवं व्याख्या करना।

2. प्लॉन ड्राइंग :-

1. प्लॉन का वर्गीकरण
2. घटना स्थल का प्लॉन बनाना
3. किसी भवन का प्लॉन समझना
4. किसी कैम्पस का ले-आउट प्लॉन बनाना एवं समझना
5. जंगल की घटनाओं का प्लॉन
6. पैमाइश करने की रीति
7. लम्बाई के पैमाने
8. नदी की चौड़ाई/ गहराई नापने के नियम
9. अभ्यासिक प्रश्न

3. रेडियो संचार :-

1. परिभाषा, आधारभूत धारणायें एवं दूरसंचार नेटवर्क का महत्व
2. प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों का प्रकार
3. डब्लू०टी०/ आर०टी० संचार की आवश्यकता एवं विधि- एच.एफ., वी.एच. एफ., यू.एच.एफ. एवं रिपीटर संचार प्रणाली । उपग्रह संचार एवं आप्टीकल फाइबर ।
4. संदेशों की प्राथमिकता- लेखन एवं वर्गीकरण,
5. वाकी-टॉकी/ स्टैटिक मोबाइल सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण
6. दूरसंचार में आधुनिक पद्धतियाँ- सी०सी०टी०वी०, रेडियो बेस्ड पी०ए० सिस्टम, जी०पी०एस० बेस्ड व्हकिल ट्रेकिंग सिस्टम

7. जिलों में स्थापित पुलिस की संचार व्यवस्था—डी.सी.आर., सी.सी.आर., रिपीटर स्टेशन, सी. डब्लू स्टेशन, इलैक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर, आर.टी.टी.वाई. आदि।
8. डायल-100 व्यवस्था एवं कॉल ट्रेकिंग

4- प्राथमिक चिकित्सा :-

1. प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिक चिकित्सा किट, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान ही संक्रमण से बचाना
2. प्राथमिक चिकित्सा के विभिन्न प्रकार एवं संसाधन।
3. हड्डी टूटने, घाव, रगड़, नीलगू घाव (Contusions) घर्षण (Abrasions) मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान।
4. घायल होने, साँप काटने, महामारी फैलने एवं दैविक आपदा के समय प्राथमिक सहायता।
5. पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता पहुँचाने का व्यवहारिक ज्ञान।
6. शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार।
7. जल में डूबने एवं फाँसी लगने पर कृत्रिम श्वास का दिया जाना।
8. जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार।
9. दौरा पड़ने एवं बिजली से झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार।
10. अभ्यासिक प्रदर्शन।

प्रयोगात्मक

कालांश: 50

पूर्णांक: 50

1. पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता पहुँचाने का व्यवहारिक ज्ञान।
2. शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार।
3. जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार।
4. दौरा पड़ने एवं बिजली से झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार।

06)-पुलिस रेगुलेशन-

कालांश: 80

पूर्णांक: 100

1. अध्याय 1

- (अ) पुलिस अधीक्षक के ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य
- (ब) वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक प्रभारी, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक देहात की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

2. अध्याय 2 रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व उप निरीक्षक
3. अध्याय 3 लोक अभियोजक तथा उसके अधीनस्थ
4. अध्याय 5 थाना प्रभारी की शक्तियां व कर्तव्य एवं उसके अधीनस्थ उपनिरीक्षक, हे०कां० व कां० की शक्तियां व कर्तव्य
5. अध्याय 6 सशस्त्र पुलिस
6. अध्याय 7 सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व (आरक्षित)
7. अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस
8. अध्याय 9 ग्राम पुलिस
9. अध्याय 10 थानों में की गयी रिपोर्ट
10. अध्याय 11 अन्वेषण (अनुसंधान एवं विवेचना)
11. अध्याय 12 पंचायतनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों का उपचार
12. अध्याय 13 गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा
13. अध्याय 14 सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं निपटारा
14. अध्याय 15 विशेष अपराध
15. अध्याय 17 गश्त और नाकाबन्दी
16. अध्याय 18 विशेष गार्ड और अतिरिक्त पुलिस
17. अध्याय 19 फरार अपराधी
18. अध्याय 20 बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी
19. अध्याय 21 आदेशिकाओं का निष्पादन
20. अध्याय 22 अभिलेख एवं गोपनीय दस्तावेज
21. अध्याय 23 पुलिस थानों पर रखे गये लेखे
22. अध्याय 27 विशेष विधियों और नियमों के अन्तर्गत कर्तव्य
23. अध्याय 28 प्रकीर्ण
24. अध्याय 31 पारितोषिक (अध्यावधिक स्थिति)
25. अध्याय 35 राजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण
26. अध्याय 36- उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण
27. अध्याय 37- हेड० कानि० व कानि० का प्रशिक्षण

07)–भारतीय दण्ड विधान–

कालांश :80

पूर्णांक: 100

- अध्याय 1–प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 5
अध्याय 2–सामान्य व्याख्यायें धारा 10,14,21से 30, 34, 44, 52, 52ए
अध्याय 3–दण्ड धारा 53, 75
अध्याय 4–साधारण अपवाद धारा 76 से 106
अध्याय 5–दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र धारा 107 से 109, 114
अध्याय 5(क)–अपराधिक षडयन्त्र 120ए, 120बी
अध्याय 6–राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121 से 124, 124ए
अध्याय 7–आर्मी, नेवी एवं एयर फोर्स से सम्बन्धित अपराध धारा 136, 140
अध्याय 8–लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 149, 151, 153, 153ए, 153बी, 159, 160
अध्याय 9–लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध धारा 166, 166क (संशोधित), 166ख, 170, 171
अध्याय 9(क)–निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 171ए, बी,सी,डी,ई,
अध्याय 10–लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 174, 174 क, 182 से 188
अध्याय 11–झूठा साक्ष्य, व्यक्तियों एवं न्याय के विरुद्ध अपराध धारा 191 से 193, 195 क, 196, 201, 211, 212, 216, 216ए, 218, 223से 225, 227, 228, 228ए, 229ए
अध्याय 12–सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध धारा 255 से 260, 263क
अध्याय 14–लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 268 से 270, 272 से 276,277,278,279,283, 285,289,292, 293, 294
अध्याय 15–धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 295, 295क, 296,297,298
अध्याय 16–मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 299 से 304, 304ए–बी, 306, 307, 308, 309, 313, 315, 317,318,319से 326, 326क, 326ख, 328,330से333,336 से 338, 339 से 342, 349 से, 354, 354 ए,बी,सी,डी, (संशोधित) 356, 359 से 364, 364ए, 365, 366, 368, 370, 370क, (संशोधित)375, 376, 376 ए,बी,सी, डी, ई, 377
अध्याय 17–सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सम्पत्ति के न्यास भंग से सम्बन्धित अपराध छल, रिश्वत से संबंधित अपराध धारा 378 से 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 से 397, 398, 399, 401, 402, 405, 406 से 409,410, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 420, 425, 429, 430, 435, 436, 441 से 460
अध्याय 18–अभिलेखों, सम्पत्ति चिन्हों से सम्बन्धित अपराध एवं मुद्रा का कूटकरण धारा 463 से 465, 467, 468, 470, 471, 477क, 489 ए,बी,सी,डी,ई,
अध्याय 20–विवाह से सम्बन्धित अपराध धारा 494, 495, 497, 498, 498ए (माउउच्च न्यायालय के आदेश)
अध्याय 20(क)–पति या पति के नातेदार द्वारा कूरता के विषय में धारा 498ए
अध्याय 21–मान हानि के विषय में धारा 499, 500
अध्याय 22–आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं अपराध कारित करने के प्रयास धारा 503, 504, 506, 509

नोट- विषय अध्यापक आद्यतन संशोधनों की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपराधों के अवयवों (ingredients) की जानकारी हो सके।

केस लाँ

1-रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम 2004(3)एसीसी 199

विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण में धारा 304 बी के प्राविधान लागू होंगे।

2-विश्वनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एआईआर 1983 (एससी) 174

अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है।

3-राजेश शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य(किमिनल अपील संख्या:1265/2017 एवं स्पेशल लीव पिटीशन संख्या: 2013/17आई०टी०)

08)-दण्ड प्रक्रिया संहिता-

कालाँश: 90

पूर्णांक: 100

सैद्धान्तिक

कालाँश: 80

पूर्णांक: 75

अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1,2,ए,बी,सी,डी,जी,एच,आई,के,एल,ओ,आर,एस, डब्ल्यू, एक्स, डब्ल्यूए

अध्याय 2-आपराधिक न्यायालय एवं अभियोजन इकाई धारा 6,9,11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 25क

अध्याय 3-न्यायालय की शक्ति धारा 26, 28, 29, 30

अध्याय 4-पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ धारा 36 से 40

अध्याय 5-व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षण आदि 41 से 60

अध्याय 6-उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 61 से 90

अध्याय 7-वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 91, 93 से 95, 97, 98, 100,102, 105

- अध्याय 8—परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा 106 से 122
 अध्याय 10—लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा 129 से 132, 133, 144, 145, 146
 अध्याय 11—पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा 149 से 151
 अध्याय 12—पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ धारा 154 से 176
 अध्याय 13—न्यायालयों की अधिकारिता धारा 177 से 183
 अध्याय 14—आपराधिक कार्यवाहियों शुरु करने के लिए आवश्यक शर्तें धारा 190, 195, 195क से 199
 अध्याय 15—मजिस्ट्रेट से परिवाद धारा 200, 202
 अध्याय 16—मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का प्रारम्भ धारा 204, 209
 अध्याय 17—आरोप धारा 211, 219
 अध्याय 21(क)—प्ली बार्गेनिंग धारा 265क से 265 च
 अध्याय 22—कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के विषय में धारा 266 से 270
 अध्याय 23—जांचों व विचारण में साक्ष्य से सम्बन्धित धारा 299
 अध्याय 24—जांचों व विचारण के बारे में सामान्य प्राविधान धारा 306, 309
 अध्याय 26—न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा 345, 350
 अध्याय 27—निर्णय धारा 360,
 अध्याय 29—अपीलें धारा 377, 378
 अध्याय 33—जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 436, 436क, 437, 437क से 441
 अध्याय 34—सम्पत्ति का निस्तारण धारा 456 से 459
 अध्याय 36—विविध धारा 468, 473
 अध्याय 37—प्रकीर्ण धारा 482 एवं परिशिष्ट 1 व 2 की जानकारी

नोट— विषय अध्यापक अद्यतन सशोधनों की जानकारी प्रशिक्षुओं को देंगे।

केस लॉ

1—नंदिनी सत्पथी बनाम पी0एल0दानी राज्य 1976 एससीसी पृष्ठ 424

विवेचनाधिकारी किसी अभियुक्त /संदिग्ध पर शारीरिक /मानसिक या अन्य दबाव नहीं डालेगा एवं हिरासतके दौरान अभियुक्त विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी को बुला सकता है तथा द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत गवाहों के ही नहीं बल्कि अभियुक्त के बयान भी अंकित किये जा सकते हैं।

2-भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर 1985 एसीसी 246 (उच्चतम न्यायालय) एसीसी 2011 पृष्ठ 719 (उच्चतम न्यायालय)

मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है कि अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किए जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुने स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ।

3-जसबन्त व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य ए0सी0सी0 1994 (31) पृष्ठ 425 (इला0 उच्च न्यायालय)

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि मुल्जिम पक्ष द्वारा जमानत के समय दाखिल किए गए वादी पक्ष के गवाहों के शपथ पत्र मान्य नहीं है।

4- रघुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (ए0सी0सी0 1995 पृष्ठ 216 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि यदि थाना प्रभारी की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ उपनिरीक्षक उस अभियोग की विवेचना नहीं कर सकता।

5-जोगेन्द्र नाइक बनाम उड़ीसा राज्य (ए0आई0आर0 1999 मा0 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2565)

मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि धारा- 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट द्वारा केवल तब ही अंकित किए जायेंगे जब उन्हें विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

6-ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य 2014 (84)एसीसी 719(एससी)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कुछ आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर थाने का भारसाधक अधिकारी सञ्ज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है।

7- रिट पिटीशन संख्या: 10792/2015 श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर), रिट पिटीशन संख्या:10756/2015 श्रीमती शाहिदा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 08 अन्य (जनपद सहारनपुर) तथा प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 2028पी/छ:-पु0-3-13(13)पी/15 दिनांक: 23.07.2015 के पत्र में अंकित रूपराम बनाम राज्य

8-उ0प्र0राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एसीसी 2001 पृष्ठ - 726 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) विधि विरुद्ध कब्जा

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि विधि विरुद्ध आधिपत्य यदि मान्य है तब उसे सपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता है ।

9-सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नि0प0 2003 पृष्ठ 338)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि पुलिस द्वारा अभिगृहित वस्तुओं को अनावश्यक रूप से या दीर्घावधि तक पुलिस थानों में नहीं पड़े रहने देना चाहिये तथा न्यायालय को पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

10-किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एसीसी 2006 पृष्ठ 1015)

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि यद्यपि न्यायालय द्वारा अन्वेषण के प्रक्रम पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है तथापि समान रूप से ये भी सही है कि अन्वेषण अभिकर्ता को किसी समय सीमा के बिना अन्वेषण के निष्कर्ष को देर तक रोके रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

11-बृज लालभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(55) एसीसी 864 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि मामला थाने पर असंज्ञेय के रूप में दर्ज होता है और बाद में संज्ञेय मामलों की साक्ष्य प्राप्त होती है तो विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से विवेचना की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

12-तापस डी0 नियोगी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 कि0 लॉ0 ज0 4305 (एससी)

मा0 उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था दी है कि अभियुक्त द्वारा अपराध की कमाई से बैंक में जमा किया गया धन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 102 के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। विवेचक को अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट सीज करने व परिचालन बन्द करने का निर्देश बैंक अधिकारी को देने का अधिकार है।

13-अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2006 (55) एसीसी 864 सर्वोच्च न्यायालय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में निर्देशित किया गया है कि 07 वर्ष तक की सजा के अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी को अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

14-अनीमी रेड्डी बैंकटरामन्ना बनाम पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एचसी ऑफ एपी 2008(61) एसीसी 703 एससी

मा0 उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था में कहा है कि यदि पुलिस अधिकारी को संगीन अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो बिना औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज किये उसका कर्तव्य है कि वह मौके पर जाकर घायलों की सुरक्षा प्रदान करे। उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया कि यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों को समुचित सुरक्षा प्रदान करे।

15- अन्य-भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़ित महिला में मेडिकल परीक्षण के समय टू-फिंगर टेस्ट को अनुमन्य न किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

उद्देश्य यह है कि अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उन सुसंगत उपबन्धों एवं सुसंगत केस लॉ से सज्जित कर दिया जाये, जिन्हें उसे अन्वेषण अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियों के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में लाना होता है।

प्रयोगात्मक

कालांश-10

अंक-25

- | | |
|--|---------|
| 1. गृह तलाशी एवं फर्द बनाना | -05 अंक |
| 2. जामा तलाशी एवं फर्द | -03 अंक |
| 3. गिरफ्तारी एवं फर्द | -03 अंक |
| 4. माल कब्जे में लेने की फर्द | -03 अंक |
| 5. पंचायतनामा भरना | -03 अंक |
| 6. केस डायरी लिखना- बयान गवाह, तलाशी, गिरफ्तारी, बरामदगी माल | -05 अंक |
| 7. जनानत विरोध का प्रपत्र तैयार करना | -03 अंक |

09)-भारतीय साक्ष्य अधिनियम-

कालांश: 50

पूर्णांक: 50

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
2. अध्याय:-

अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 3

अध्याय 2-तथ्यों की सुसंगतता धारा 5से11,

-स्वीकृतियों 17, 24 से 30

-मृत्युकालिक कथन धारा 32, 32 (1)

-विशेषज्ञ की राय धारा 45, 45क, 47, 47क, 48

अध्याय 4-मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 59, 60

अध्याय 5-अभिलेखीय साक्ष्य धारा 61, 62,63, 65क, 65ख, 67, 67क, 73क

अध्याय 7-शील की सुसंगतता धारा 51, 53, 53ए, 54, 61

अध्याय 9-सार्वजनिक एवं निजी अभिलेख धारा 73,74,75,76

अध्याय 10-साक्ष्य का भार धारा 101 से110

अध्याय 11-उपधारणा धारा 113ए, 113बी, 114, 114ए

अध्याय 12—साक्षीगण धारा 118, 119ए

अध्याय 13—विशेषाधिकार पूर्ण संसूचना धारा 122 से 126

अध्याय 14—सह अपराधी धारा 133, 134

अध्याय 15—साक्षीगण का परीक्षण धारा 37,138,139,141,145,146,154,155,157, 159,160से 165

केस लॉ

1. सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय) धारा 27 सा0अधि0 की बरामदगी

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण विश्वसनीय नहीं होगी कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नहीं कराये।

2. राजस्थान राज्य बनाम हनुमान एसीसी 2001 पृष्ठ 351 (उच्चतम न्यायालय) हितबद्ध साक्षी

यदि घटना के साक्षी परिवारजन ही हैं तब भी उनकी साक्ष्य की ग्राह्यता कितनी होगी, इस विधि व्यवस्थामें मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया।

3. उकाराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन

मा0सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समयबरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।

4. निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 (उच्चतम न्यायालय) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

मा0सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवंपरिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

5. विक्रम सिंह बनाम पंजाब राज्य 2010(68)एसीसी 726(एससी)

मा0सा0अधि0 की धारा27 के प्राविधानों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि अभियुक्त की औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की जाये, बल्कि अभियुक्त का अभिरक्षा में होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित विवेचना का बहुत अच्छा उदाहरण है।

➤ विभिन्न केस लॉ के संबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों की जानकारी एवं ज्ञान।

➤ उद्देश्य यह है कि अधिकारी साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता समझ सके। विषय के अध्यापन में स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का समावेश किया जाना चाहिए, ताकि अधिकारी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् मामले से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करने के योग्य हो सके।

10)–विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्सा शास्त्र–

कालाँशः 84

पूर्णांकः 75

सैद्धान्तिक

ए–विधि विज्ञान(फारेन्सिक साइंस)–

कालाँश–45

अंक–35

1. विधि विज्ञान, अपराध विवेचना में इसकी उपयोगिता
2. केन्द्रीय व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ, अन्य विशेषज्ञ संस्थान, पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता, फील्ड यूनिट, विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून
3. घटना स्थल का दृश्य और इसका रक्षण एवं परीक्षण
4. भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व। घटना स्थल पर भौतिक सूत्रों को पहचानना व एकत्रित करना
5. अंगुष्ठ छाप, इतिहास, महत्व, वर्गीकरण, छाप के प्रकार, अदृश्य चिन्हों को विकसित करना एवं उठाना, हथेली की छाप, एक अंकीय व दस अंकीय प्रणाली
6. पद व जूतों की छाप, महत्व, पद छाप उठाने की विधियाँ, वाकिंग पिक्चर, टायर मार्क, स्किड मार्क
7. डायटम– शरीर के आन्तरिक अंगों में भौतिक साक्ष्य के रूप में पहचान किया जाना
8. भौतिक साक्ष्यों की पहचान–
 - (1) रक्त– रक्त का विश्लेषण, रक्त समूह व रक्त के वर्गीकरण का निर्धारण, परीक्षण विधियाँ, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
 - (2) शारीरिक तरल–शुक्राणु, लार व पसीना–परिरक्षण व पैकिंग परीक्षण विधियाँ, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
 - (3) बाल– संरचना, साक्ष्य के रूप में बाल की उपयोगिता
 - (4) खोपड़ी, त्वचा एवं उत्तक (Tissue) की फोटोग्राफी एवं एकत्रीकरण
 - (5) रेशे व कपड़ा– रेशों का वर्गीकरण, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
 - (6) काँच– संरचना, काँच विभंजन (Glass fractures) से प्राप्त होने वाली जानकारियाँ, संग्रह परिरक्षण एवं परीक्षण।
 - (7) मिट्टी– संरचना, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण।
 - (8) पेन्ट– रासायनिक संघटन, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण।
 - (9) मैल व धूल–साक्ष्य के रूप में उपयोगिता
9. अभिलेख– जाली दस्तावेज, दस्तावेज परीक्षण के सिद्धांत, पहचान हेतु परीक्षण–लेखन सतह, लेखन यंत्र, स्याही हस्तलिपि, विलेखन (Erasure), संकलन

(Addition), विलोपन (Obliteration), परिवर्तन (Alteration), गुप्त, जले व झुलसे, दस्तावेज, टंकित लेख, हस्तलेख, हस्तलेख का नमूना प्राप्त करना, गुप्त लेख, कार्बन कापी, जीरोक्स आदि का रेस्टोरेशन (Restoration) एवं पढ़ा जाना

10. जाली नोट व सिक्के— पहचान के आधार
11. औजार चिन्ह, प्रकार, विलुप्त चिन्हों का पुनः उभारना (पुनः स्थापना)
12. एल्कोहल, ड्रग एवं नारकोटिक्स
13. विष— विषों का वर्गीकरण, सामान्यतया प्रयोग में लाये जाने वाले विष, विसरा सुरक्षित रखना, विष प्रकरण में संग्रहित किए जाने वाले साक्ष्य
14. डी.एन.ए. की जाँच व उपयोगिता, डी.एन.ए. सैम्पल लेना एवं परीक्षण हेतु भेजना
15. नारको एनेलेसिस, ब्रेन मैपिंग एवं पॉलीग्राफ टेस्ट— सामान्य जानकारी
16. अस्त्रक्षेप विज्ञान—आग्नेयास्त्र का वर्गीकरण, बोर, कारतूस, बुलेट, वैड, गन पाउडर, कारतूस व बुलेट पर बनने वाले निशान व परीक्षण, फायरिंग की दूरी का निर्धारण, गनशाट रेजीड्यू टेस्ट, रिकोचेटिंग
17. विस्फोटक—वर्गीकरण, सामान्यतया प्रयोग में लाये जाने वाले विस्फोटकों के सम्बन्ध में जानकारी, विस्फोटक के अवशेषों का एकत्रिकरण, विस्फोट के बाद घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियाँ
18. इन्फारेड, अल्ट्रावाइलेट एवं एक्स-रेज, भौतिक सामग्री (साक्ष्य) ढूँढने एवं अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व (प्रणाली—व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
19. सुपर इम्पोजीशन फोटोग्राफी
20. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अर्न्तगत ट्रैप के मामलों में रंगों एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली—व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
21. पुलिस कार्य में फोटोग्राफी, घटना स्थल की फोटोग्राफी, व्याइस सैम्पल एनालेसिस, प्रणाली—व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
22. संदिग्ध का कम्प्यूटर आधारित चित्रण/चित्र तैयार करना (प्रणाली—व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
23. फिंगर प्रिन्टस का कम्प्यूटराइजेशन, इन्डेक्सिंग, डाटाबैंक, कास चैकिंग करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।
24. डाग स्क्वाड की क्षमता, परिसीमन, महत्व एवं विवेचना में उपयोगिता
25. मोबाइल फोरेन्सिक
26. कम्प्यूटर फोरेन्सिक
27. सोशल मीडिया/वेबसाइट

व्याख्यान/दृश्य-श्रव्य सामग्री/केस स्टडी/प्रयोगशाला भ्रमण/व्यवहारिक प्रदर्शनों को अध्यापन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य है कि अधिकारी अपराधों की विवेचना में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने की जानकारी हासिल कर लें।

प्रयोगात्मक

कालाँश-24

अंक-25

- 1-भौतिक प्रदर्शों का उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना।
- 2- साइबर अपराध/ कम्प्यूटर अपराध से संबंधित मौके से प्रदर्शों को उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना।
- 3- डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु प्रदर्शों का उठाना, पैक करना, सील बन्द करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना।
- 4- रक्त साक्ष्य का संग्रह व पैकिंग करना
- 5-ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा द्वारा नारकोटिक्स का परीक्षण करना।
- 6- विस्फोट के घटनास्थल पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण।
- 7- ट्रैप के मामलों में रासायनिक रंगों का प्रयोग।
- 8- विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विशेषज्ञ हेतु पत्र/ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसारित करना।
- 9- फिंगर प्रिंट का लिया जाना व रीडर डिवाइस पर फिंगर प्रिंट लिया जाना।
- 10-हत्या, चोरी, बलात्कार, सड़क दुर्घटना आदि अपराधों के घटनास्थल का प्रतिरूपण कर घटनास्थल को सुरक्षित करना, घटनास्थल का निरीक्षण, भौतिक साक्ष्यों का उठाया जाना।
- 11- अपराध के घटनास्थल की फोटोग्राफी स्वयं करें।
- 12-अपराध स्थल अनुरूपण- परीक्षण, कलर पोट्रेट का बनाया जाना

बी)-विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेन्सिक मेडिसिन)

कालाँश-15

अंक-15

1. पुलिस कार्य में विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व
2. मेडीकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण

3. चोटें व घाव, परिभाषा, साधारण व गम्भीर चोट, विभिन्न प्रकार की चोटें—नील, रगड़/खरोच, कटे—फटे व कुचले घाव, घोपे हुए घाव, फ्लैक्चर, जलने के घाव, विद्युत करंट से आये घाव, आग्नेयास्त्र घाव, प्रवेश व निकासी, घाव में अन्तरः—मृत्यु पूर्व व मृत्यु पश्चात आयी चोटों में अन्तर, चोट की अवधि
 4. मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात् व्यतीत समय पर बल देते हुए मेडीकोलीगल पहलू
 5. हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु
 6. मृत्यु के प्रकार, मृत्यु के कारण, फाँसी लगाकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वासावरोध, पानी में डूबकर मृत्यु, मृत्यु के पश्चात शरीर पर दिखायी देने वाले लक्षण व उनका मेडिकोलीगल महत्व, डायटम परीक्षण, विष/विषैले पदार्थ के प्रभाव से मृत/जीवित व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों की पहचान
 7. मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीकेः—
 - उत्खनन, पोस्ट मार्टम परीक्षण, क्षत—विक्षत मृत शरीर का परीक्षण
 - अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण
 8. यौन अपराध—बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या
 9. आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीके
 10. अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भारत में साधारणतः प्रयोग में लाये जाने वाले जहरों का मेडीकोलीगल पहलू
 11. घायलों एवं लाशों का परिवहन
 12. पोस्टमार्टम एवं मेडीकोलीगल परीक्षण में सामान्यतः प्रयुक्त विभिन्न शब्द/ शब्दावली
- उपरोक्त विषयों का प्रशिक्षण दिये जाते समय व्याख्यान, दृश्य—श्रव्य सहायकों और केस स्टडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि अधिकारी को अन्वेषण के दृष्टिकोण से विधि चिकित्सा शास्त्र का सम्यक् ज्ञान हो सके।

11) —थाना प्रबन्धन एवं जी०आर०पी०—

कालाँश—50

पूर्णांक—50

सैद्धान्तिक

कालाँश: 40

पूर्णांक: 25

1. अपराध की रोकथाम :-

- अपराध की रोकथाम— तकनीक एवं रणनीति।
- बीट एवं गश्त उद्देश्य एवं प्रक्रिया—शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्धति एवं गश्त मिलान— योजना, डिप्लायमेंट एवं बीट चेकिंग व पर्यवेक्षण।

- काइम मैपिंग, हॉट स्पॉट पुलिसिंग, काइम नेटवर्क, COMPSTAT
- पेट्रोल एवं पिकेट्स,
- अपराधियों की निगरानी
- चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती व अन्य सम्पत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम
- संगठित अपराधों से संबंधित सूचना, घटनायें, आकड़े, अपराधियों के संबंध में अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा उनकी रोकथाम
- ग्राम चौकीदारों, सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आग्नेयास्त्र धारकों का सहयोग प्राप्त करना। VDS (ग्रामीण सुरक्षा समिति), UDS (शहरी सुरक्षा समिति)
- कानूनी प्राविधान एवं प्रक्रिया— निगरानी के तौर तरीकों पर न्यायालय के निर्देश, ग्राम भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम में इसका महत्व
- पैरोल उल्लंघन कर्ताओं से व्यवहार (द गुड कन्डक्ट आफ प्रिजनर्स प्रोबेशन रिलीज ऐक्ट 1926, धारा-2से 8)
- जमानत उल्लंघन कर्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ व्यवहार

1. अपराधिक अभिसूचना संकलन व निगरानी (सर्विलांस):-

- अभिसूचना संकलन की कला और उनका प्रयोग ।
- अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण—मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना देने का उद्देश्य, मुखबिरों का फैलाव एवं रख-रखाव/सूचना देने वाले क्या करें क्या न करें, सूचना के अभिलिखित स्रोत
- आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण में नागरिकों का सहयोग ।
- सर्विलांस (निगरानी) का उद्देश्य व मकसद ।
- निगरानी के तरीके (टेकनिक्स आफ सर्विलांस), सर्विलांस के अत्याधुनिक उपकरण एवं उनकी जानकारी
- संगठित अपराधियों, अपराधिक गैंग, अभ्यस्त अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की निगरानी
- संदिग्ध विदेशियों की निगरानी

2. अपराध सम्बंधी अभिलेख तथा साँख्यकी :-

1. आवश्यकता तथा महत्व
2. अभियुक्तों से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख थाना स्तर के अभिलेखों का ज्ञान एवं आँकड़ा विशेष रूप से हिस्ट्रीशीट, कियाशील अपराधी सूची, मफरूर रजिस्टर आदि

3. जिला स्तर के अभिलेखों का रखना (जिला पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/डी०सी०आर०बी०/जिलाकाइम ब्रान्च/एस०पी०ओ० कार्यालय)
4. स्टेट काइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एस०सी०आर०बी०) के अभिलेख
5. अपराध की प्रवृत्ति, अपराध के तरीके, आपराधिक आकड़े के अभिलेखों एवं अपराधियों का विश्लेषण
6. कम्प्यूटर द्वारा अपराधिक सूचनाओं का रख-रखाव एवं आदान-प्रदान (C.C.I.S.) एवं (CCTNS)
7. अपराध अनुसंधान विभाग के अभिलेखों का रख-रखाव
8. थाना एवं विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले अभिलेखों से सम्बन्धित योजना, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण

3- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था :-

1. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की अवधारणा
2. भारत में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का इतिहास
3. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था प्रणाली
4. सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में पुलिस की भूमिका
5. अपराध की रोकथाम में सहायता के लिये सामुदायिक पुलिसिंग उदाहरण स्वरूप-राजस्थान का सांझ, केरल की कम्प्यूनिटी पुलिसिंग, देहली का नेबरहुड वाच स्कीम

4- जी०आर०पी०-

जी०आर०पी० मैनुअल, संगठन, कार्यप्रणाली

प्रयोगात्मक

कालांश-10

- | | |
|---|---------|
| | अंक-25 |
| 1. गश्त एवं गश्त मिलान | -04 अंक |
| 2. पिकेट ड्यूटी | -03 अंक |
| 3. VDS का अभ्यास | -03 अंक |
| 4. पिकेट एवं गार्ड के लिये स्थायी आदेश बनाना | -02 अंक |
| 5. शान्ति व्यवस्था ड्यूटी हेतु पी०ए०सी०/ अन्य बल आने पर उनके लिये ड्यूटी हेतु स्थायी आदेश बनाना | -02 अंक |
| 6. डकैतों का गैंग चार्ट बनाना एवं नकबजनों की गैंगशीट बनाना | -02 अंक |
| 7. सड़क पर रोक कर सुरक्षा पूर्वक वाहन की तलाशी | -03 अंक |
| 8. विभिन्न किस्म की बीट सूचनायें अंकित करना | -02 अंक |
| 9. भाग-4 VCNB(ग्राम अपराध रजिस्टर) हेतु नोट तैयार करना | -02 अंक |
| 10. संदिग्ध रोल के लिये रिपोर्ट तैयार करना | -02 अंक |

12)-अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण-

कालांश- 120

पूर्णांक: 100

सैद्धान्तिक

कालांश-80

अंक-50

1-विवेचना का परिचय, विवेचना में सामान्य सिद्धान्त एवं विवेचना के चरण

- विवेचना के सिद्धान्त
- विवेचक अधिकारी की दक्षतायें/कौशल
- जाँच व विवेचना में अंतर
- सूचना एवं परिवाद में अंतर
- सूचना एवं विवेचना: कानूनी पहलू

(दं०प्र०सं० की धारा 154 से 176, राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत उपबन्ध)

2-अपराध का पंजीकरण एवं अपराध का घटना स्थल:-

- प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना (द०प्र०सं०की धारा 154 व 155) व्यवहारिक अभ्यास सहित
- अपराध घटनास्थल का निरीक्षण और अपराध घटना स्थल का रक्षण, वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध घटना स्थल का भ्रमण, डोंग स्कवायड का प्रयोग
- घटनास्थल पर साक्ष्यों की पहचान कर नक्शा नजरी में स्थिति निर्धारित करना
- प्रदर्शों की अभिरक्षा एवं उनकी वैधानिकता बनाये रखना एवं प्लॉन ड्राइंग
- प्रदर्शों की कमवद्धता को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना।
- सूत्रों (मुखबिरो) द्वारा दी गई सूचना, सावधानियाँ, आपराधिक सूचना के विभिन्न स्रोत व उनका उपयोग करने में सावधानियाँ, उपयोगी सूत्रों की तलाश

3-पंचनामा (धारा 174 से 176 दं.प्र.सं.)- पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में)- राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सुसंगत आदेश एवं निर्देश, चिकित्सीय परीक्षण

4-संदिग्ध अवस्था में शव (मृत्यु समीक्षा)

- (1) उ०नि०/थानाध्यक्ष/कार्यपालक मजि० द्वारा पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले अभिलेखों का ज्ञान
- (2) गड़े शव को जमीन में निकालने की प्रकिया
- (3) अज्ञात शव की शिनाख्त के तरीके

5-मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण

- साक्षीगण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों का परीक्षण दृश्य/श्रुत्य रिकार्डिंग सहित { दं०प्र०सं० की धारा 160 से 164, 171, 306 से 308, साक्ष्य अधिनियम धारा 24 से 30, 32(1) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) 22(1) एवं (2) }
- विवेचना के दौरान दं०प्र०सं० की धारा 164 के अन्तर्गत साक्षीगणों तथा अभियुक्तों के बयान कराये जाने की आवश्यकता, महत्ता एवं विधिक प्रक्रिया
- पूछताछ/ संज्ञानात्मक साक्षात्कार के सिद्धान्त एवं तकनीकें
- संस्वीकृति:- न्यायिक, गैर न्यायिक (कानून के सुसंगत प्राविधान), मृत्यु कालिक कथन का अभिलेखन, (कानून की संसंगत धारार्ये एवं नियम), स्वीकृति व संस्वीकृति में अंतर
- विवेचना में प्रयोग किये जाने वाले मानक प्रारूप (सीसीटीएनएस)

6-अभिलेखीय साक्ष्यों, सम्पत्ति एवं भौतिक साक्ष्यों का एकत्रीकरण:-तलाशी एवं जब्ती-जब्ती सूची की तैयारियाँ (धारा 99,100,102,165 एवं 166 द.प्र.सं- धारा 61 से 90 भा.सा.अधि.) जब्ती मेमो, तलाशी मेमों आदि तैयार करना व सुपुर्दगीनामा तैयार करना।

7-न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्तगण की कार्यवाही शिनाख्त तथा चोरी/लूट की सम्पत्ति की विवेचना के दौरान बरामदगी के उपरान्त उनकी कार्यवाही शिनाख्त कराया जाना-इस विषयक संबंधी विधिक प्राविधान।

8-केस डायरी (दं.प्र.सं. धारा 172)-केस डायरी लिखना, साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य का मेमों, धारा 160 के अन्तर्गत साक्षियों को सफीना भेजना, धारा 161दं.प्र.सं.के अन्तर्गत बयान लिखना।

9-व्यक्ति एवं स्थान की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, कॉल डिटेल् रिपोर्ट का विश्लेषण एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के एकत्रीकरण एवं उसकी वैधानिक बनाये रखना।

10-अभियुक्त की गिरफ्तारी व गिरफ्तारी कैसे की जायेगी तथा गिरफ्तारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण केस लॉ

11-अभियुक्त के अधिकार (गिरफ्तारी एवं तलाशी के परिप्रेक्ष्य में)

12-गिरफ्तार/आत्मसमर्पण अभियुक्त हेतु चिकित्सीय परीक्षण

13-गिरफ्तार/ आत्मसमर्पण अभियुक्त की रिमांड प्रक्रिया

(1) न्यायिक रिमांड, सी०आर०पी०सी० के सुसंगत प्राविधान

(2) पुलिस रिमांड, सी०आर०पी०सी० व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्राविधान, विवेचना में साक्ष्य एकत्र करने हेतु पुलिस रिमाण्ड लिये जाने की आवश्यकता, विधिक प्रक्रिया, इस विषयक समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी रूलिंग का अध्ययन, इस संबंध में केस स्टडी

14-गिरफ्तारी- अभिरक्षा मेमो का तैयार किया जाना, आख्या का अग्रसारण, (धारा 41 से 60, 167,436, 439 दं.प्र.सं.), हथकड़ी का प्रयोग एवं माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश

15-जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या तैयार करना

- 16- अभियुक्त की उपस्थिति हेतु द०प्र०सं० की धारा 82/83 की रिपोर्ट/कार्यवाही, उद्घोषणा के बाद भी हाजिर न होने पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही।
- 17- द०प्र०सं० के धारा 164 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराये गये बयान की महत्ता, आवश्यकता। इस संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय/ मा० उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दी गयी वैधानिक व्यवस्थायें।
- 18- आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना, मफरूरी की कार्यवाही
- 19- धारा 173(8) द.प्र.सं. के अन्तर्गत अग्रतर विवेचना की कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया
- 20- विवेचना के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेख/थाने के रजिस्ट्रों/सी.सी.टी.एन.एस. साफ्टवेयर में प्रविष्टिया, जिला अपराध अभिलेख शाखा, एस.सी.आर.बी., एन.सी. आर.बी.आदि में सूचना भेजना।
- 21- विवेचना/विचारण के क्रम में मा० न्यायालय द्वारा क्षमा प्रदान किये जाने एवं अप्रूवर बनाये जाने सम्बन्धी प्रक्रिया।
- 22- विवेचना के दौरान विदेश से विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन, विधिक प्रक्रिया, प्रत्यार्पण सम्बन्धी प्रक्रियायें, इन्टनपोल से समन्वय स्थापित करना।
- 23- केस के अन्तिम निर्णय के उपरान्त न्यायालय की अभिरक्षा में रखे हुए सम्पत्ति, अभिलेख/नकदी व अन्य माल मुकदमाती का उन्मुक्त किया जाना, मनःस्वापक एवं निशिद्ध द्रव्यों तथा शस्त्र/ विस्फोटक पदार्थों का निस्तारण
- 24- विवेचना, रिमांड, केस डायरी, अंतिम रिपोर्ट एवं आरोप पत्र पर अभियोजन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं कठिनाई के समय विधिक सलाह।
- 25-(अ) विशिष्ट अपराधों की विवेचना किया जाना:--

- लूट एवं डकैती
- छेड़छाड़ एवं बलात्कार
- बलवा एवं आगजनी
- हत्या एवं दहेज हत्या
- अपहरण
- एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली विवेचनायें

(ब)-विवेचना का पर्यवेक्षण एवं प्रगति

- शरीर के विरुद्ध अपराध संबंधी विवेचना
- सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध संबंधी विवेचना
- सड़क दुर्घटना की विवेचना
- श्वेत व्यसंग अपराध
- सड़बर काइम संबंधी विवेचना
- जाली दस्तावेज, सिक्कों एवं पुरात्व महत्व की दुर्लभ वस्तुओं से सम्बन्धित विवेचना

- गबन, बैंक धोखाधड़ी, एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ई-ट्रान्जेक्शन, विदेशी अधिनियम, इन्वयोरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में धोखाधड़ी व प्रतिरूपण करके छल
- निरोधात्मक कार्यवाही-गुण्डा अधिनियम, गैगस्टर अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी
- मानव तस्करी संबंधी अपराध
- महिला एवं किशोर संबंधी अपराध
- एक्साइज ऐक्ट/ आर्म्स ऐक्ट/ इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट/ किमिनल लॉ अमेन्डमेण्ट ऐक्ट आदि से सम्बन्धित विवेचनार्यें।

(स) अभियोजन:-

- जनपदीय न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।
- डी0जी0सी0 (किमिनल)/ए0डी0जी0सी0 (किमिनल) व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/ सहायक अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिंर आदि के कर्तव्य।
- रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई, जमानत का निरस्तीकरण
- अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रक्रिया।
- अपील करने की प्रक्रिया
- गवाहों की समस्यायें और उनका निराकरण।
- अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती प्रदर्शों के रख-रखाव का ज्ञान

● उद्देश्य प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक एवं कानून सम्मत विवेचना की कला से सुसज्जित करना है। व्याख्यान/दृश्य-श्रव्य/केस स्टडी/अनुरूपण अभ्यास एवं फील्ड भ्रमण जैसी क्रिया पद्धति का प्रयोग करते हुए विवेचना में विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपराध की विवेचना स्वतंत्र रूप से कर सकने हेतु विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। विवेचक की हैसियत से द.प्र.सं. के प्रावधानों के साथ-साथ राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के सुसंगत प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

प्रयोगात्मक

कालाँश-40

अंक-50

- 1- द0प्र0सं0 धारा - 41 (ख) गिरफ्तारी के ज्ञापन का आलेख तैयार करने का अभ्यास।
- 2- द0प्र0सं0 धारा - 50 क (3) गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नामित व्यक्ति को देने की सूचना का रो0आम में अंकित किया जाना।
- 3- द0प्र0सं0 धारा - 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी में पाये गये सामान की सूची का मेमो तैयार करना।

- 4- द0प्र0सं0 धारा - 154 संज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना।
- 5- द0प्र0सं0 धारा - 155 असंज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना।
- 6- द0प्र0सं0 धारा - 160 साक्षियों को हाजिरी की अपेक्षा करने हेतु हेतु लिखित आदेश तैयार किया जाना।
- 7- द0प्र0सं0 धारा - 161 साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने का अभ्यास।
- द0प्र0सं0 धारा 161क साक्षियों के कथनों को दृश्य, श्रव्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा लिखे जाने का अभ्यास।
- 8- द0प्र0सं0 धारा - 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की फर्द बनाया जाना।
- 9- द0प्र0सं0 धारा - 166 (क) भारत देश के बाहर किसी देश में अन्वेषण के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाना।
- 10-द0प्र0सं0 धारा - 167 न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा हेतु आख्या प्रेषित किया जाना।
- 11-द0प्र0सं0 धारा - 169 साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़े जाने की आख्या तैयार करना।
- 12-द0प्र0सं0 धारा - 173 आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।
- 13-द0प्र0सं0 धारा - 173 (8) के अंतर्गत अग्रिम विवेचना हेतु मा0 न्यायालय के संज्ञान हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।
- 14-द0प्र0सं0 धारा - 174 आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा जाँच करना अथवा रिपोर्ट का तैयार किया जाना।
- 15-द0प्र0सं0 धारा - 436/437 जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या तैयार किया जाना।
- जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।
- 16- पूछताछ आख्या तैयार किया जाना।
- 17- कॉल डिटेल् रिपोर्ट का विश्लेषण करना।
- 18- निम्न अधिनियमों के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आख्या प्रेषित किया जाना-
- (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 188, 196, 197
- (ख) आयुध अधिनियम धारा 39
- (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 11
- (घ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 7
- (ङ) पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922 धारा 5
- (च) शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 13(3)
- अपराध रजिस्टर लिखना
- पर्यवेक्षण आख्या लिखना

- विशेष अपराध पत्रावली पर केस डायरी का सारांश तथा क्रमागत आख्या लिखना
- किसी अपराध की स्वतः पूर्ण रिपोर्ट तैयार करना (जिसकी विवेचना पूर्ण हो चुकी है)
- किसी कानून व्यवस्था की घटना की रिपोर्ट तैयार ।

13)–न्याय शास्त्र / न्यायालय व्यवस्था एवं अभियोगों का विचारण–

कालांश–50

पूर्णांक– 50

1. न्याय शास्त्र की परिभाषा
2. न्याय की अवधारणा– नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त
3. सिविल एवं अपराधिक न्याय प्रणाली
4. अन्वेषकीय(Inquisitorial) एवं अभियोजकीय आपराधिक न्याय प्रबंधन पद्धति ।
5. अधिनियमों की व्याख्या के सिद्धान्त (Interpretation of statutes)
6. एडवोकेट जनरल / गर्वमेण्ट एडवोकेट / मुख्य स्थायी अधिवक्ता / एडवोकेट आन रिकार्ड / डीजीसी किमिनल एवं सिविल / जिला स्तरीय अभियोजन अधिकारी की संस्थायें व उनके कार्य । माननीय उच्च न्यायालय नियम– अपराध
 1. एल0आर0 मैनुअल
 2. स्थगनादेश
 3. सम्मन वारण्ट तामीला
 4. अभियोजन रिकार्ड, काजलिस्ट आदि का अध्ययन
 5. पेन्डिंग ट्रायल केसों का विश्लेषण
 6. अभियुक्तों की रिमान्ड आख्या तैयार करना
 7. गवाहों को पेश करना, गवाहों की समस्या एवं उनका निराकरण ।
 8. मौखिक साक्ष्य देने की विधि
 9. अभिलेखीय / विशेषज्ञ साक्ष्य व अन्य प्रदर्शकों का न्यायालय में प्रस्तुतिकरण
 10. माल मुकदमाती, बरामदगी को थाना मालाखाना एवं सदर मालाखाना में रखना तथा निर्णय के बाद नष्ट करना ।
 11. निर्णय एवं उनकी प्रति प्राप्त करना ।
 12. एक्यूटल रिपोर्ट एवं उस पर कार्यवाही
 13. अपील एवं अपील की कार्यवाही ।
 14. मोनीटरिंग सेल मीटिंग
 15. नैरेटिव / काउण्टर एफीडेविट बनवाना
 16. रिट याचिकायें / अवमानना याचिकायें

14)–विविध अधिनियम–

कालाँश–100

अंक–75

सैद्धान्तिक

कालाँश–80

अंक–50

केन्द्र के प्रमुख ऐक्ट

1. पुलिस अधिनियम, 1861 धारा 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 15 से 30, 34 व 44
2. पुलिस अधिनियम 1888
3. पुलिस अधिनियम 1949
4. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966– सम्पूर्ण
5. पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922 धारा 2, 3, 5, 6
6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 2, 7 से 19, 22, 24
7. जल वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम (सुसंगत धारायें)
8. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006– सम्पूर्ण
9. विद्युत अधिनियम–2003 धारा 2, 135 से 155 तक
10. भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 धारा 2, 137 से 182
11. शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 2, 3 से 13 तक
12. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 2 से 11 तक, 20, 23, 24
13. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (वर्ष 2007 की नियमावली सहित/यथा संशोधित) धारा 1 से 32 34, 37, 49, 63
14. किशोर न्याय नियम 2007 धारा 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 75, 76, 77, 84, 87
15. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 धारा 2 से 10, 13 से 20
16. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985/2001 धारा 1, 2, 8 से 68
17. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 2, 7 से 15, 17, 18, 19, 20 व 24
18. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 – सम्पूर्ण
19. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961/1986 धारा 2 से 8, 8ए
20. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 धारा 2, 3, 4, 5, 12, 18, 31 व 32
21. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 धारा 1 से 7, 10 से 16 एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति संशोधन अधिनियम 2015।
22. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली–1995 धारा 6, 7, 10
23. शस्त्र अधिनियम 1959 धारा 1 से 9, 13 से 17, 19 से 22, 25 से 30, 35 से 39 व 45

24. विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 5, 9बी, 12, 13
25. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सम्पूर्ण
26. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 25, 35 से 40, 43 से 46, अनुसूचित सहित
27. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 2 से 8, 12, 13 व 15
28. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 50, 51 व 55
29. मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 2 से 5, 39, 62, 112, 132, 133, 177, 179, 183, 184, 185, 192, 192ए, 194, 196, 197, 202 से 207
30. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 2, 125 से 136 (संशोधनों सहित)
31. सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम 1984 धारा 2 से 5
32. टेलीग्राफ ऐक्ट 1985 धारा 5
33. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957(कॉपी राइट ऐक्ट) धारा 2,3,14,52ए,63, 63क, 64, 65, 68क
34. चलचित्र अधिनियम 1952—धारा 2, 5क, 6क, 7, 10, 11, 13, 14
35. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 धारा 2, 12 से 19, 29, 30, 31, 36
36. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (यथासंशोधित वर्ष 2009) धारा 65 से 78
37. राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971 – सम्पूर्ण
38. मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 धारा 2, 3 से 12, 18 से 22
39. धन शोधन अधिनियम—2002 धारा 2 से 5, 16, 17, 18, 19, 43 से 45
40. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 धारा 2 से 6, 18 से 28, 30 (संशोधनों सहित)
41. राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966— धारा 2, 3, 5, 6, 8
42. बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम—2012 धारा 2 से 27, 34 व 42
43. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम—1971 धारा 2 से 5
44. महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिशेध) अधिनियम—1986 धारा 2 से 8
45. आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 धारा 2, 3, 6, 7 से 11 (संशोधनों सहित)
46. पशु कूरता निवारण अधिनियम 1986 धारा 2, 3, 11 से 13, 21 से 36 (बी.पी.आर.एण्ड.डी. तथा एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इण्डिया द्वारा Guide to Animal Welfare Laws विषयक Law enforcement agencies का उपलब्ध कराया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम)
47. महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण (रोकथाम, निशेध एवं उपचार) अधिनियम—2013 धारा 2 से 27
48. भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 2, 3, 5, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 52 से 58, 63, 64, 65, 66, 70, 77, 79

49. Trade Mark Act 1999

50. Copy Right Act 1957

51. The Cigarette and other Tobacco Products(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and commerce, Production, Supply and Distribution) Act 2003 OR COTPA-2003.

नोट:- प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों/केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

राज्य के प्रमुख एक्ट

1. उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1970 धारा 02 से 09
2. उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 48 से 72
3. उ0प्र0 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 धारा 2, 3 से 9, 13, 13ए, 14, 16
4. उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निषेध) अधिनियम 1992 धारा 2 से 12
5. उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 धारा 2 से 7
6. उ0प्र0 पी0ए0सी0 अधिनियम 1948- सम्पूर्ण
7. उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950
8. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, 14, 19 (नवीन संशोधन सहित)
- 8ए. एण्टी भूमाफिया टास्क फोर्स स्थापित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:491/एक-2-2017-1(सामान्य)2017 दिनांक 16-05-2017
9. उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 10 व 11
10. उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 1, 2, 4, 10, 12 व 13
11. यूनाइटेड प्रोबेन्सिज स्पेशल पावर ऐक्ट 1932 धारा 3 से 7
12. उ0प्र0 विद्युत तार ट्रांसफार्मर चोरी का निवारण तथा दण्ड अधि0-1976 धारा 1, 3, 5, 6
13. उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 धारा 2 से 8
14. Prisons Act-(बन्दी अधिनियम) 1894 (कैदियों से सम्बन्धित सुसंगत धारार्ये/नियम)
- 15.The Prisoners Act 1900 (से सम्बन्धित सुसंगत धारार्ये/नियम)
- 16.The UP Prisoners Releas on Probation Act 1938 (से सम्बन्धित सुसंगत धारार्ये/नियम)
17. UP Prisoners Release On Probation Rule 1938 (से सम्बन्धित सुसंगत धारार्ये/नियम)
18. The Transfer of Prisoners Act 1950 (से सम्बन्धित सुसंगत धारार्ये/नियम)

19. U.P. Prisoners (Attendance in court) Act 1955 (से सम्बन्धित सुसंगत धारायें/नियम)
20. U.P. Prisoners (Attendance in court) Rule 1956 (से सम्बन्धित सुसंगत धारायें/नियम)
21. Rule for Special Prisoners of Previous Detention (से सम्बन्धित सुसंगत धारायें/नियम)

प्रयोगात्मक

कालौश-20

अंक-25

1. धारा 52 स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा।
2. धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट-समपहत की गई स्वापक औषधियों एवं साइको ट्रॉपिक पदार्थों के निस्तारण की रिपोर्ट।
3. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 57 के अंतर्गत गिरफ्तारी और अभिगृहण की रिपोर्ट
4. धारा 36अ(4) स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम- धारा 19 अथवा 24 अथवा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध की विवेचना 180 दिन के भीतर पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाये जाने की आख्या दिया जाना।
5. निष्कासित गुण्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए पुनः प्रवेश आदि पर धारा 11 के अंतर्गत उसको हटाये जाने आदि की रिपोर्ट दिया जाना।
6. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।
7. विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाने हेतु धारा 43घ (2ख) के अन्तर्गत रिपोर्ट दिया जाना।
8. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत रखरखाव और संरक्षण से उपेक्षित बालक के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिया जाना।
9. सार्वजनिक जुआ अधिनियम तलाशी वारन्ट जारी करने हेतु धारा 5 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को आख्या दिया जाना।
10. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरुद्धि हेतु रिपोर्ट दिया जाना।
11. उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट तथा गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु थाने के गार साधक अधिकारी द्वारा आख्या दिया जाना।

➤ धारा 14(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में अर्जित सम्पत्ति जब्ती की आख्या तैयार करना।

➤ आरोप पत्र का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी आख्या तैयार करना तथा सुसंगत शासनादेश की जानकारी देना

12. विविध अधिनियमों के अंतर्गत सम्पत्ति जब्ती हेतु रिपोर्ट तैयार किया जाना।

नोट:- प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों/केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

15)- कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थापना, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबन्धन—

कालाँश: 70

पूर्णांक: 75

(क) कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था की स्थापना :-

1. लोक व्यवस्था का अर्थ व महत्व तथा शान्ति बनाये रखना
2. भीड़ नियंत्रण के सिद्धांत तथा जवाबी रणनीति, अभिसूचना संकलन, प्रोएक्टिव पुलिसिंग एवं तदनुसार पुलिस व्यवस्था प्रबन्धन, विधिक उपाय, भीड़ के व्यवहार का विश्लेषण, परामर्श एवं मध्यस्थता
3. भीड़ को नियंत्रित करने में कम से कम घातक शस्त्रों का प्रयोग
4. बल प्रयोग एवं पुलिस द्वारा गोली चलाना
5. दंगे एवं दंगा नियंत्रण योजना का अद्यावधिक किया जाना एवं उसका रिहर्सल
6. आन्तरिक सुरक्षा योजना
7. बड़े पैमाने (रेली मेला, बन्द, हड़ताल, सरकारी भर्ती, राजनैतिक व अन्य यूनियनों का धरना प्रदर्शन) पर पुलिस बन्दोबस्त योजना, पुलिस बल का व्यवस्थापन एवं गतिशीलता, ब्रीफिंग, कैम्पिंग, रोटेशन इत्यादि
8. अर्द्ध सैनिक बल एवं सेना का व्यवस्थापन
9. आतंकवाद एवं विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की रणनीति
10. संगठित अपराधियों से लड़ने की रणनीति
11. कानून एवं व्यवस्था से सम्बंधित अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टों का प्रेषण, अभिलेखों का विश्लेषण एवं संसाधनों का आंकलन।
12. असमाजिक तत्वों की प्रविष्टि सम्बंधी अभिलेख (पूर्व अपराधिक इतिहास, वर्तमान गतिविधि, पहचान करना व इनके विरुद्ध कार्यवाही करना)
13. शांति व्यवस्था सम्बंधी बीट, गश्त तथा पिकेट्स

(ख) सुरक्षा :-

1. सुरक्षा के प्रमुख सिद्धान्त
2. वी0आई0पी0 सुरक्षा के विशेष नियम, ब्लू बुक व इस विषय पर समय-समय पर निर्गत निर्देशों की जानकारी ।
3. Threat perception(अभित्रास की परिकल्पना) का आंकलन तैयारी एवं तैनाती,
4. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों/महत्वपूर्ण सरकारी व गैर सरकारी भवन (सिनेमा हाल, शापिंग मॉल व भीड़-भाड़ वाले स्थान/ हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/ बस स्टॉप/ सीमा की सुरक्षा
5. विदेशियों का पंजीकरण एवं संचालन नियम (आवागमन पर निगाह रखना)
6. अभिसूचना संकलन ।
7. गार्ड एवं एस्कोर्ट रूल्स
8. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के दौरान स्टेडियम एवं खिलाड़ियों की सुरक्षा
9. अभिलेख, कम्प्यूटर एवं सूचना की सुरक्षा

(ग) आपदा प्रबन्धन :-

1-आपदा प्रबन्धन के मूल सिद्धांत

2. प्राकृतिक आपदायें :-

- (1) भूकम्प (2) बाढ़ (3) तूफान (4) संकामक बीमारी (5) अतिवृष्टि, भूस्खलन

3 मानव जन्य आपदायें :-

- (1) हवाई दुर्घटनायें
- (2) रेल दुर्घटनायें/सड़क दुर्घटनायें
- (3) अग्नि-काण्ड
- (4) विस्फोट
- (5) अचानक भवन गिरना
- (6) औद्योगिक दुर्घटना
- (7) भगदड़

4-आपदा प्रबन्धन

- आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय आपदाओं के संबंध में राज्य/जिला स्तरीय योजनायें
- आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं से सामंजस्य *Disaster Management (आपदा प्रबन्धन) Act-2005 तथा उत्तर प्रदेश में State Disaster Response Force(प्रान्तीय आपदा बचाव दल)*
- अन्य आपदायें/बड़ी दुर्घटनायें-विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़ इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व
- सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व

- आग की घटनायें—अग्निशमन/बचाव कार्य
- गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही
- गंभीर दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उनके नियन्त्रण हेतु
- पुलिस कार्यवाही
- बाढ़ राहत कार्यों में पुलिस की भूमिका
- उत्तर प्रदेश में बाढ़ का परिदृश्य, बाढ़ पीड़ितों के बचाव, सहायता एवं पुनर्वास केस अध्ययन
- गुजरात, उत्तरकाशी अथवा चमोली भूकम्प पर केस अध्ययन ।

(घ) मोटर तकनीक तथा यातायात प्रबंधन :-

1. मोटर तकनीक :-

1. मोटर गाड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी— भारी गाड़ी, हल्की गाड़ी तथा उसके पंजीकरण, फिटनेस का ज्ञान
2. विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का चलाना
3. मोटर गाड़ियों के मुख्य—मुख्य पुर्जों (पार्ट्स) का ज्ञान एवं उनका रिप्लेसमेन्ट (कण्डम कराना, पार्ट की अवधि)
4. मोटर गाड़ियों का निरीक्षण
5. मोटर गाड़ियों से संबंधित अभिलेख— लॉग बुक, रन रजिस्टर, कार डायरी व अन्य अभिलेख ।
6. स्टॉक बुक— पैट्रोलियम, पार्ट्स एवं अन्य लूब्रीकेन्ट्स

2. यातायात प्रबंधन :-

1. यातायात पुलिस का संगठन एवं प्रशासन
2. यातायात प्रबंधन एवं व्यवस्था के सिद्धांत, प्रशिक्षण, काउन्सिलिंग ।
3. यातायात इंजीनियरिंग, शिक्षा तथा क्रियान्वयन
4. एम0वी0 ऐक्ट एण्ड रूल्स, प्रवर्तन, शमन, चालान, जब्तीकरण इत्यादि कार्यवाहियाँ
5. सड़क प्रयोग के नियम (राष्ट्रीय मार्ग) शिष्टाचार, यातायात सुरक्षा सम्बंधी ज्ञान, ट्रैफिक चिन्हों का ज्ञान
6. यातायात सर्वे, ट्रैफिक बीट एवं गश्त
7. दुर्घटना प्रबंधन (Trauma care)
8. पुलिस अधिकारी का यातायात प्राधिकारी एवं अन्य एजेन्सियों से समन्वय
9. यातायात अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण
10. रोड रूल्स रेगुलेशन
11. भारत सरकार के मूलतः परिवहन मंत्रालय एवं राज्य सरकार परिवहन विभाग के द्वारा निर्गत लाल नीली बत्ती के संबंध में नियम व आदेश

12. ट्रैफिक कंट्रोल एण्ड डायवर्जन प्लान

13. अन्य विभाग एवं सरकारी/ गैर सरकारी एजेन्सियों से समन्वय

16)–पत्र व्यवहार, अधिष्ठान एवं पुलिस लाइन प्रबन्धन–

कालाँश–90

पूर्णांक–100

सैद्धान्तिक

कालाँश–70

पूर्णांक–75

स्थापना– नियतन, लियन, भर्ती, प्रशिक्षण, ज्येष्ठता का निर्धारण, स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति, से संबंधित शासनादेश/ उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर की जानकारी। आमद/रवानगी, यात्रा/यात्रा भत्ता, अवकाश, समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रत्यावेदन देना, वर्दी धारण करना, सादा परिधान- Civies - क्या-2 पहनना है क्या-2 नहीं पहनना है, बैरक/हॉस्टल में रहन-सहन, सरकारी मकान आवंटन तथा मकान मरम्मत एवं रखरखाव के संबंध में दायित्व/सरकारी आवास में रहने के दौरान अपेक्षित शिष्टाचरण।

1. उपाार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मातृत्व/ चाइल्ड केयर लीव/एल0टी0सी0, विभिन्न भत्तों आदि से संबंधित नियमावली एवं शासनादेशों की जानकारी, वित्तीय नियम संग्रह के अन्तर्गत वेतन, वेतन वृद्धि, निलम्बन भत्ता, यात्रा भत्ता, के नियमों की जानकारी।
2. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 02 से 04 (एफ0आर0 एवं एस0आर0)
3. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 सामान्य परिचय, 1991/1999 कर्मचारी आचरण नियमावली, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1999, विभिन्न रैंको की सेवा नियमावलियाँ– पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी लिपिक संवर्ग, मोटर वाहन, पी0ए0सी0 आदि।
4. शासनादेशों की व्याख्या के सिद्धान्त (Interpretation of G.Os)
5. जाँच कैसे की जाए (वार्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान)
6. प्रभावी लेखन की तकनीक
7. उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991
8. सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन रूल्स, ग्रेच्युटी,
9. उ0प्र0 मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली 1974 एवं यथा संशोधन सहित
10. अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सेवाभिलेख यथा– चरित्र पंजिका, सेवा–पुस्तिका, सेवा पत्रावली आदि का रख–रखाव

11. पुलिस आफिस मैनुअल
12. वर्दी के नियम (ड्रेस रेगुलेशन)
13. पत्र व्यवहार शाखा के कार्य एवं पुलिस विभाग के समस्त इकाईयों के वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक निरीक्षण
14. पुलिस के विभिन्न शाखाओं के अभिलेख
15. पुलिस लाइन एवं उसकी विभिन्न शाखाओं के अभिलेख / निरीक्षण
16. नये मूल निर्माण कार्य योजना एवं पर्यवेक्षण
17. पुलिस कर्मियों से संबंधित लाभकारी योजनाएं
18. राजकीय रेलवे पुलिस निर्देशिका
19. उ०प्र० अग्नि शमन सेवा अधिनियम-1944
20. प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी (पी०ए०सी०) अधिनियम-1948, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी(पी०ए०सी०) मैनुअल
21. उ०प्र० अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली-1984
22. उ०प्र० रेडियो सेवा नियमावली-1979
23. गार्ड्स एवं स्कोर्ट रूल्स नियम संख्या- 7 से 10 , 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22 ,24, 32, 37, 62, 76, 106, 153 ,163, 185, 194, 196, 197
- 24- उ०प्र०पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय ,सहायक संवर्ग सेवा नियमावली - 2015
- 25- उ०प्र० सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली - 1956
- 26- सिविल सर्विस रेगुलेशन (पेंशन नियमावली)
- 27- उ० प्र० पुलिस सेवानियमावली - 2016
- 28- विभिन्न अराजपत्रित कर्मियों हेतु प्रचलित सेवा नियमावलीयाँ ।

प्रयोगात्मक

कालाँश-20

पूर्णांक-25

- 1- पत्राचार एवं रिपोर्ट लेखन
- 2- जाँच आख्या लिखना
- 3- संक्षिप्तीकरण
- 4- निबन्ध लेखन
- 5- मौखिक वक्तव्य
- 6- विभागीय कार्य की रिपोर्ट
- 7- पुलिस लाइन की विभिन्न इकाईयों का निरीक्षण लिखना

17)–वित्तीय नियम, बजट तथा लेखा–

कालांश–50

अंक–50

1. बजट मैनुअल– बजट का तैयार किया जाना, विभिन्न प्रकार के लेखा–शीर्षकों, ग्राण्ट आदि का ज्ञान
2. वित्तीय नियम– फाइनेन्शियल हैण्ड बुक–Vol-1(वित्तीय अधिकार एवं अधिकारों का प्रतिनिधायें)
3. फाइनेन्शियल हैण्ड बुक–Vol-III, T.A. rules
4. मूल नियमावली–वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2(2 से 4)
5. अधीनस्थ नियमावली– वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2(2 से 4)
6. फाइनेन्सियल हैण्ड बुक–Vol-V, Part-I, Account rules
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी के दायित्व
8. राजकीय सम्पत्ति, भवन एवं अनुरक्षण
9. ट्रेजरी आफिस की कार्य प्रणाली एवं सॉफ्टवेयर

(A)- पुलिस विभाग में चल रहे निम्न साफ्टवेटर का व्यवहारिक ज्ञान-

1. पेट्रोल सिस्टम-

2. नॉमिनल रोल

(B)- ट्रेजरी में प्रचलित विभिन्न साफ्टवेयर की सामान्य जानकारी-यथा कोषवानी

(C)- जी0पी0एफ0 लिंक साफ्टवेयर की सामान्य जानकारी

(D) शमन शुल्क संबंधी साफ्टवेयर की सामान्य जानकारी

(E)- जी0पी0एफ0 पासबुक पर इन्ट्रैक्ट साफ्टवेयर की सामान्य जानकारी ।

(F)- पब्लिकेशन-

1. साफ्टवेयर कोरल ड्रा एवं पेज मेकर का सामान्य ज्ञान [स्वयं]

2. GEM (Government e-Market)

3. E-Tendering Software

(G)- कम्प्यूटर एप्लीकेशन –agup.nic.in वेबसाइट में उपलब्ध पुलिस से सम्बन्धित अकाउन्ट साफ्टवेयर की जानकारी

10. वेतन तथा भत्ते, यात्रा भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कण्टीजेन्सी बिल आदि के बनाये जाने से सम्बन्धित नियम
11. सेवा निवृत्त/मृत्यु होने पर अनुमन्य विभिन्न लाभ

12. सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ
13. आंकिक शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख, स्थायी/अस्थायी अग्रिम, क्रेडिट ऑर्डर, राजकीय रोकड़ बही, प्राईवेट फण्ड से सम्बन्धित कैश बुक आदि का रख-रखाव
14. जी0पी0एफ0, पासबुक, लेजर आदि का रखरखाव, जी0पी0एफ0 स्थायी/अस्थायी अग्रिम, राजकीय सामूहिक बीमा योजना आदि
15. थानों को बजट आवंटन एवं उसका प्रबन्धन
16. भण्डार कय नियमों की जानकारी व तद्विषयक अभिलेख— टेण्डर नोटिस बनाना, विशिष्टियाँ तैयार करना, कोटेशन, नकद क्रय आदि
17. भण्डार का रख-रखाव एवं निस्तारण।
18. ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण
19. पुलिस जनों के कल्याण की विशेष व्यवस्थाएँ— राज्य सुख सुविधा फण्ड, कल्याण निधि, छात्रवृत्ति, साइकिल, मोटर साइकिल एवं भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम

18)—प्रबन्धन के सिद्धान्त एवं मानव मनोविज्ञान—

कालाँश: 70

पूर्णांक: 75

सैद्धान्तिक

कालाँश: 50

पूर्णांक: 50

(1) प्रबन्ध की प्रस्तावना :-

1. प्रबन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: कौटिल्य, एफ.डब्लू. टेलर, एल्टन मेमो इत्यादि के विचारों के संदर्भ में ।
2. प्रबंधन के सिद्धान्त:-पुलिस संगठन के परिप्रेक्ष्य में उनकी सार्थकता ।
3. व्यवस्थापरक दृष्टिकोण:- (Systems approach) पुलिस संगठन के परिप्रेक्ष्य में इसकी समीक्षा ।
4. प्रबंधन का मूल कार्य, पुलिस का नियोग (मिशन) लक्ष्य तथा प्राथमिकताएं ।
5. प्रबंधन के उपकरण- 1. संगठन, 2. व्यवस्था, 3. कार्मिक

(2) नियंत्रण

प्रबंधन एवं मानव व्यवहार

1. व्यवहार का मनोविज्ञान (Behaviour Psychology)
2. व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक- मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारक

3. संगठन व्यवहार (Organisation Behaviour)
4. संगठन में व्यक्ति (Individual in Organisation)
5. व्यक्तित्व के सिद्धान्त (Theory of Personality)
6. छवि निर्माण (Image Building)
7. स्व धारणा (Self Perception)
8. प्रेरणा (Motivation)
9. समूह गत्यात्मकता (Group Dynamics)
10. अंतः समूह संबंध (Inter group Relationship)
11. संघर्ष का प्रबन्धन पर नियंत्रण (Management & Conflict)
12. समझौतावादी दृष्टिकोण (कौशल) (Negotiation Skill)
13. समूह / टीम निर्माण (Team building)
14. नेतृत्व एवं नेतृत्व शैली (Leadership and Leadership Styles)
15. प्रेरणा एवं प्रेरणा कौशल (Motivation and Motivation Skill)
16. समय प्रबंधन (Time Management)
17. तनाव प्रबंधन (Stress Management)
18. संवाद शैली / संचारण शैली (Communication Skill)

| S. No. | Contents |
|---------------|---|
| 1. | <i>Effective Verbal Communication – Importance</i> |
| 2. | <i>Techniques of Effective Communication</i> |
| 3. | <i>Observation & Narration</i> |
| 4. | <i>When to speak</i> |
| 5. | <i>When not to speak (When need to be silent)</i> |
| 6. | <i>Body language while speaking</i> |
| 7. | <i>Extempore Speech</i> |
| 8. | <i>Prepared Speech</i> |
| 9. | <i>Debates</i> |
| 10. | <i>Declamation on famous Speeches</i> |
| 11. | <i>Recitation</i> |
| 12. | <i>Group Discussions</i> |

19. परिवर्तन प्रबंधन (Management –Change)
20. कानफ्रेंस / परिचर्चा / प्रेस वार्ता शैली (Conferencing Skill)
21. वित्तीय प्रबंध (Financial Management)

3- नैतिक पुलिसिंग-

पुलिस पब्लिक इण्टरफेस विधि के अनुसार सहमति एवं सहयोग से पुलिसिंग, शिष्टाचार

(4) व्यक्ति, समूह एवं संस्थाओं से संबंध :-

निम्न से संबंध व उनको समझना -

1. जनता
2. स्त्रियाँ एवं बच्चे
3. युवा / विद्यार्थी
4. अल्पसंख्यक
5. औद्योगिक मजदूर
6. कृषक एवं भूमिहीन कृषक / मजदूर
7. संगठित एवं असंगठित मजदूर वर्ग
8. व्यापारी वर्ग / व्यावसायिक समूह
9. मीडिया-प्रेस काउन्सिल ऐक्ट, प्रिन्टिंग प्रेस ऐक्ट, बुक रजिस्ट्रेशन,
10. जन प्रतिनिध (सांसद, विधायक एवं अन्य नेतागण।)
11. मानवाधिकार संगठन
12. उच्चाधिकारी
13. गैर सरकारी संगठन
14. अन्य सरकारी विभाग (वित्त, परिवहन, जेल, स्वास्थ्य इत्यादि)
15. न्यायालयों से संबंध।
16. एक अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण
17. पुलिस का जनता के साथ व्यवहार-इसका महत्व, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन कारित करने के तौर-तरीके
18. पुलिस छवि सुधार के लिए पहलें (Initiatives)
19. विभिन्न पुलिस ईकाइयों द्वारा पुलिस कर्म में अपनायी गयी अच्छी प्रथायें
20. ग्रुप डिसकशन रोल प्ले, प्रोसिक््यूशन एण्ड पेनल डिसकशन ऑन साइकलोजिकल एसपेक्ट आफ इंडिविजुअल बिहेवियर

प्रयोगात्मक

कालॉश-20

पूर्णांक-25

- 1- संभाषण
- 2- मीडिया साक्षात्कार
- 3- उत्तेजित व्यक्ति/समूह से वार्ता
- 4- किसी पुस्तक पर संक्षिप्त लेख तथा प्रस्तुतीकरण

19)– अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सामंजस्य–

कालांशः 50

पूर्णांकः 50

- 1– राजस्व विभाग– राजस्व परिषद
- 2– कार्यपालक मजिस्ट्रेट
- 3– न्यायपालिका
- 4– अभियोजन– एल0आर0 मैनुअल
- 5– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- 6– लोक निर्माण विभाग
- 7– वन विभाग
- 8– आबकारी विभाग
- 9– उत्तर प्रदेश बिद्युत निगम
- 10– रेलवे प्रशासन
- 11– सेना / वायुसेना
- 12– केन्द्रीय पुलिस संगठन
- 13– सचिवालय
- 14– महाधिवक्ता– शासकीय अधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता
- 15– माननीय उच्च न्यायालय
- 16– श्रम विभाग
- 17– उद्योग विभाग / उद्योग निदेशक

20)–कम्प्यूटर–

कालांशः 150

पूर्णांकः 100

सैद्धान्तिक

कालांश–100

अंक–60

- 1–कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता।
- 2–कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय–हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण–जैसे पैन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर
- 3–विन्डो आपरेटिंग सिस्टम
- 4–एमएस वर्ड का परिचय, पावर प्वाइंट, एमएस वर्ड में फाईल बनाना, एडिटिंग करना, इन्सर्ट एवं फोरमेट कमांड, फोन्ट सेटिंग एवं प्रिन्टिंग करना
- 5–एमएस पावर प्वाइंट का परिचय, पावर प्वाइंट में फाईल बनाना एवं स्लाईड्स बनाना
- 6–एमएस एक्सेल का सामान्य परिचय
- 7–इन्टरनेट का उपयोग
- 8–कलर पोर्टेड बिल्डिंग सिस्टम का परिचय एवं स्केच

9-नेटवर्किंग- हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर

10-इंटरनेट-टी0सी0पी0/आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एड्रेस स्कीम, डिजीटल सिग्नेचर

- आई0टी0एक्ट 2000 (यथा संशोधित 2008) एवं अन्य अधिनियम तथा संहिताओं में संशोधन
- साइबर अपराध -रोकथाम एवं विवेचना एवं डिजीटल साक्ष्य को समझना, डिजिटल साक्ष्य का संकलन (seizure) एवं उसे सुरक्षित रखना एवं तद्विषयक स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (S.O.P.)

a-साइबर अपराध के प्रकार-

Introduction, Definition

Overview Of cyber Crimes Indian & Global Scenario

Types Of Cyber Crimes (NCRB Classification)

Cyber security

b-लीगल फ्रेमवर्क-

A- *Information technology Act 2000 vide amendments 2008 and relevant provision in IEA (65B)*

B- *IPC- Destruction of electronic record (204), cheating (420), forgery (468), criminal breach of trust (406), counterfeiting (476) etc.*

C- *Other SLL - 1. Copy Right Act 1957 2. Trade Mark Act 1999*

c-साइबर फोरेंसिक-

Cyber forensic- Definition, classification, Introduction

A- Definition & Scope of Computer forensic.

B- Use of Cyber Forensic Analysis for IO

Digital Evidence

A- Nature & Source

B- Digital Signature

C- Certifying authorities

d-इन्सटीट्यूशनल एजेंसीज-

DSCI FSL, CERT-IN, NTRO, C-DAC- Cyber PS, CI Cell

e-एसओपीज/गाइड लाइन फॉर साइबर काइम इन्वेस्टीगेशन-

Flow Chart

Steps in Crime Scene

Panchnama & Seizure Proceedings

Chain Of custody and Digital Evidence collection form

Procedure for collection of digital evidence; while seizing switched of systems, live systems & mobile phones

Conducting interrogation (List of standard Questions)

Road Block in cyber crime investigation.

f. Data acquisition – (Online Bank Frauds)- Basics of data storage on hard disk and file system-

Introduction to forensic Imaging/ Duplication Of Data

Ways for acquiring data in a forensically sound manner from Hard Drives, Smart Phones, USB Drives, Digital Camera & in Digital equipment where drives can not be removed.

Hashing, imaging, analyzing, handling

Mobile Forensics

Deleted data and password recovery

g. Packaging, Labeling and analysis (To be dealt By FS Faculty) -

Transportation of evidence

Legal procedure to be followed post seizure of evidence

Forensic examination

FSL report – Interpretation of report

Collection & Analysis of CCTV Footage

Do's and Don'ts for IO

h. Validation of data – Correlating External Data with lab findings

Goals of cybercrime investigation

Problems faced by IO.

i. Guideline to preparing charge sheet-

Tips to preserve the seized digital media

Tips to produce seized digital evidence in court

Tips to prepare for deposition of evidence in court

j. Case studies of successful investigations

k. Simulation exercises (From crime scene to charge sheet)-

Threatening by E-mail (Obscene profiles)

Banking Fraud (Credit Card & Debit Card)

l. Cyber Terrorism – Social Media monitoring & investigation (Session to be dealt by Cyber cell) threatening by e-mail etc.

Forensic and investigation tools and techniques

(i) Memory card extraction and reading

(ii) SIM card extraction and reading

(iii) write blocking

(iv) FTK

(v) En case

(vi) Portable forensic Lab - Tableau Adapter Paraben

(vii) Mobile forensic and important police related mobile apps.

(viii) Free tools for cyber forensics

11-ईमेल एकाउंट बनाना, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना। टीसीपी/आईपी० प्रोटोकॉल,आईपी० एड्रेस स्कीम

12-कम्प्यूटर एवं नेटवर्क फोरेन्सिक्स – सामान्य जानकारी

13-इलैक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीकियाँ, *Gathering information from external agencies/ companies* —

(i) Social networking sites like Facebook, Orkut etc.

(ii) Financial/Net banking institution website domain/ hosting providers VoIP (Voice Over IP) Service providers

h. Tower Dump Analysis

A. Call spoofing, VoIP Tracing, Mobile phone tracking on various platform like IOs, Android, windows, tower dump analysis etc

B. Case scenario

C. Current trends in mobile investigation.

आई०पी० कैंमरा, सेटेलाइट छवियाँ, जी०आई०एस०/जी.पी.एस., आर.एफ.आई.डी. तकनीक, साइबर सुरक्षा

14—पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज/साफ्टवेयर

- Heinous Crime Monitoring System
- Missing Persons
- Track the Missing child
- Unidentified Bodies
- Stolen Vehicle Query (NCRB)

15—सी०सी०टी०एन०एस०

Role-based CCTNS Application Training (CAS)

1. Prosecution Module
 - a. IIF-6 Court Disposal Form
 - b. IIF- 7 Result of Appeal Form
2. Data Bank Module
 - a. Vehicale Theft
3. Citizen Services Module
4. Extension Module
5. Central Services

16- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस-

- कानूनी प्राविधान तथा अनुमति।
- मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंक्शनों का प्रयोग।
- मोबाइल फोन फोरेंसिक्स
- प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस -कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
- फोन टेपिंग- मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस:- प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपने दैनिक कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग, कम्प्यूटर पर केस डायरियों एवं विवेचना से संबंधित अभिलेखों को अंकन सहित, करने समर्थ हो सके।

इसमें हैंडस ऑन अभ्यासों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाये।

प्रयोगात्मक

कालाँश-50

अंक-40

Role- based CCTNS Application Training (CAS)

1-सामान्य दैनिकी -

- सामान्य दैनिकी का पंजीकरण
- सामान्य दैनिकी को देखें

2-शिकायत-

- नई शिकायत का विवरण जोड़े
- शिकायत का पंजीकरण देखें
- शिकायतों का जोड़ना और हटाना
- शिकायत का स्थानान्तरण
- शिकायत के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति
- शिकायत जांच रिपोर्ट स्वीकृत/ अस्वीकृत करना

3-पंजीकरण -

- जनरल डायरी
- प्राथमिकी- आई0आई0एफ0 प्रथम का पंजीकरण


- गैर संज्ञेय रिपोर्ट का पंजीकरण
- चिकित्सीय न्यायिक मामला (एम०एल०सी०)
- लापता व्यक्ति
- खोई हुई संपत्ति
- लापता मवेशी
- अज्ञात मृत शरीर / अस्वाभाविक मृत्यु
- सी- फार्म
- लावारिस / परित्यक्त संपत्ति
- अज्ञात व्यक्ति
- अजनबी के रोल
- आग हादसा

4-जांच -

- अपराध विवरण- आई०आई०एफ० द्वितीय
- गिरफ्तार / आत्मसमर्पण- आई०आई०एफ० तृतीय
- जमानत विवरण
- सम्पत्ति जब्ती- आई०आई०एफ० चतुर्थ
- मामले का पुनः आवंटन
- पूछताछ प्रपत्र
- अंतिम प्रपत्र - आई०आई०एफ० पंचम्
 - अन्तिम पत्र
 - आरोप पत्र
- केस डायरी
- आपराधिक फाइल
- प्रकरण प्रगति रिपोर्ट
- उद्घोषित अपराधी
- आपराधिक रूपरेखा
- व्यक्तिगत खोज ज्ञापन की तैयारी
- रिमांड प्रपत्र
- सम्पत्ति संचलन चालान / रसीद
- बाहरी संस्थाएं

5-अभियोजन -

- वारंट
- कोर्ट केस संख्या
- कोर्ट ट्रायल विवरण
- कोर्ट केस निपटान फार्म - आई0आई0एफ0 षष्ठम्
- अपील के फार्म का परिणाम - आई0आई0एफ0 सप्तम्
- जेल विस्तार से जोड़ें
- सम्पत्ति के मालखाना से रिलीज के लिए कोर्ट में आवेदन।


7/3/18

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस उपाधीक्षक (सीधी भर्ती) बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु—

पु0 उपा0 (सीधीभर्ती) का विषयवार बाह्य पाठ्यक्रम

(1) पदाति प्रशिक्षण—

कालौश-120

पूर्णांक-125

| क0 | मद | कालौश | अंक |
|------------|--|-------------|------------|
| 01- | पद कवायद (बिना शस्त्र) | - 30 | 20 |
| 02- | स्कवॉड ड्रिल (शस्त्र सहित) | - 10 | 10 |
| 03- | कमाण्ड लीडरशिप (शस्त्र सहित) | - 20 | 25 |
| 04- | शस्त्र ड्रिल (शस्त्र सहित) | - 10 | 15 |
| 05- | गार्द माउन्टिंग (शस्त्र सहित) | - 06 | 10 |
| 06- | सम्मान गार्द / हर्ष फायर / शोक कवायद (शस्त्र सहित) | - 04 | 05 |
| 07- | ई0ओ0डी0 (शस्त्र सहित) | - 04 | 06 |
| 08- | सडक पंक्ति / वाहन प्रबन्ध (शस्त्र सहित) | - 04 | 04 |
| 09- | प्लाटून / कम्पनी ड्रिल | - 12 | 10 |
| 10- | रुट मार्च (शस्त्र सहित) | - 15 | 10 |
| 11- | सोर्ड ड्रिल | - 03 | 05 |
| 12- | केन ड्रिल | - 02 | 05 |
| योग | | -120 | 125 |

(2) शस्त्र प्रशिक्षण

कालौश -90

पूर्णांक-75

| क0 | मद | कालौश | अंक |
|-----|-----------------------------------|-------|-----|
| 01- | .22" रायफल / .410 मस्कट | - 05 | 03 |
| 02- | .303" रायफल | - 05 | 04 |
| 03- | 9 एमएम कारबाईन | - 07 | 07 |
| 04- | 9 एमएम पिस्टल | - 12 | 08 |
| 05- | .38" रिवाल्वर | - 12 | 05 |
| 06- | वी0एल0पी0 / पी0एम0एफ0 | - 03 | 05 |
| 07- | 7.62 एमएम एस0एल0आर0 | - 05 | 03 |
| 08- | 7.62 एमएम ए0के047 / ए0के056 रायफल | - 06 | 05 |
| 09- | 5.56 एमएम इन्सास रायफल | - 04 | 06 |
| 10- | एल0एम0जी0 | - 05 | 06 |
| 11- | .303" जी0एफ0 रायफल | - 03 | 03 |
| 12- | एच0ई0 36 ग्रेनेड | - 03 | 03 |

| | | | |
|-----------------|---|------|-----------|
| 13- | 2" मॉर्टर | - 01 | 02 |
| 14- | आरमोरर वर्क- रिवाल्वर/रायफल/पिस्टल | - 05 | 05 |
| 15- | टियर स्मोक गन/टी एस ग्रेनेड/स्टन ग्रेनेड/डाई मार्कर ग्रेनेड | - 06 | 05 |
| 16- | 12 बोर पम्प एक्शन गन/एन0टी0 रायट गन/बज्रवाहन | - 06 | 03 |
| 17- | मिर्ची बम, पेपर स्प्रे, स्पेड, | - 02 | 02 |
| योग - 90 | | | 75 |

(3) शस्त्र फायरिंग

कालाँश-30

पूर्णांक-75

| क0 | मद | अंक |
|----------------|-----------------------------|-----|
| 1. | .22" रायफल | --- |
| 2. | .303" रायफल | 05 |
| 3. | .38" रिवाल्वर/ 9एमएम पिस्टल | 15 |
| 4. | 9 एमएम कार्बाइन | 10 |
| 5. | 7.62 एमएम एस0एल0आर0 | 05 |
| 6. | 7.62 एमएम ए0के047 रायफल | 05 |
| 7. | एल0एम0जी0 | 05 |
| 8. | ग्रिनेड (हाथ से/रायफल से) | 10 |
| 9. | फेडरल गैस गन | 05 |
| 10. | पम्प एक्शन गन | 05 |
| 11. | एण्टी रायट गन (रबर बुलेट) | 05 |
| 12. | चिली बम/ पेपर स्प्रे/ स्पेड | 05 |
| योग- 75 | | |

(4) शारीरिक प्रशिक्षण/यू0ए0सी0/योगा का मदवार विवरण-

कालाँश-320

पूर्णांक 300

| क0 | मद | अंक |
|-----|--|-----|
| 01- | एपरेटस वर्क/आब्सटीकल कोर्स | -75 |
| 02- | रोड वॉक रन/कॉसकंट्री/लॉग डिस्टेन्स कॉसकंट्री | -50 |
| 03- | शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0ई0 टेस्ट) | -70 |
| 04- | यू0ए0सी0 | -30 |
| 05- | पी0टी0/योगा | -95 |

योग - 320

ध्यान, चरित्र निर्माण एवं कार्य कुशलता में सुधार Relaxation (विश्राम)/ Meditation (ध्यान)को आउटडोर की 10 कक्षाओं में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

4-अ-शारीरिक प्रशिक्षण / यू०ए०एसी.

पूर्णांक-230

| क्र० सं० | फॉट | मुख्य मद | अंक | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | टर्न आउट | पी०टी० | 15 | |
| | पी० टी० एक्सरसाइज | | 35 | |
| | पी० टी० कमाण्ड लीडर शिप | | 25 | |
| 2 | चौड़ा घोड़ा | एपरेटर्स वर्क | 10 | |
| | सामने लुढ़क | | 10 | |
| | पीछे लुढ़क | | 10 | |
| | रस्सा | | पुरुष | महिला |
| | | | प्रथम श्रेणी - 10 अंक | प्रथम श्रेणी - 10 अंक |
| | | | द्वितीय श्रेणी - 08 अंक | द्वितीय श्रेणी - 8 अंक |
| | बीम | | तृतीय श्रेणी - 06 अंक | तृतीय श्रेणी - 6 अंक |
| | | | 10 बीम - 10 अंक | 7 बीम - 10 अंक |
| | | | 09 बीम - 09 अंक | 6 बीम - 9 अंक |
| | | | 8 बीम - 8 अंक | 5 बीम - 8 अंक |
| | | | 7 बीम - 7 अंक | 4 बीम - 7 अंक |
| | | | 6 बीम - 6 अंक | 3 बीम - 6 अंक |
| | | | 5 बीम - 5 अंक | 2 बीम - 5 अंक |
| | | | 4 बीम - 4 अंक | 1 बीम - 3 अंक |
| | | | 3 बीम - 3 अंक | ----- |
| आब्स्टीकल असाल्ट कोर्स | | 90 से० - 25 अंक | 110 से० | |

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|
| | 10 बाघायें दीवार सहित बिना सहयोग (यदि बहुत अधिक सहयोग लिया गया है परीक्षक एक अंक से दण्डित करेगा) | | | - 25 अंक |
| | | | 95 से0 - 23 अंक | 115 से0 - 23 अंक |
| | | | 100 से0 -21 अंक | 120 से0 - 21अंक |
| | | | 105 से0 -19 अंक | 125 से0 - 19 अंक |
| | | | 110 से0- 17 अंक | 130 से0- 17 अंक |
| | | | 115 से0 -15 अंक | 135 से0 - 15 अंक |
| | | | 120 से0 -13 अंक | 140 से0 - 13 अंक |
| | | | 125 से0-12.5 अंक | 145 से0 -12.5अंक |
| | | | 130 से0 -10 अंक | 150 से0 - 10 अंक |
| 3 | रोड वॉक रन/क्रॉसकन्ट्री | रोड वॉक रन/क्रॉसकन्ट्री /लॉग डिस्टेन्स क्रॉसकन्ट्री | 50 | |
| 4 | यू0 ए0 सी0 | यू0ए0सी0 | 30 | |

4-ब-शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0ई0 टेस्ट)

पूर्णांक -70

| क्र० | लम्बी कूद 14 अंक | | | ऊँची कूद 14 अंक | | | गोला फेंक 14 अंक | | | दौड़ 100 मीटर 14 अंक | | | दौड़ 1500 मीटर 14 अंक | | |
|------|------------------|-------|-----|-----------------|-------|-----|------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----|
| | मीटर | | अंक | मीटर | | अंक | मीटर | | अंक | मिनट/से० | | अंक | मिनट/से० | | अंक |
| | पुरुष | महिला | | पुरुष | महिला | | पुरुष | महिला | | पुरुष | महिला | | पुरुष | महिला | |
| 1 | 5.11 | 4.50 | 14 | 1.50 | 1.38 | 14 | 9.61 | 9.61 | 14 | 12.00 | 13 | 14 | 5.00 | 6.00 | 14 |
| 2 | 4.80 | 4.20 | 13 | 1.47 | 1.29 | 13 | 8.71 | 8.71 | 13 | 12.30 | 13.30 | 13 | 5.15 | 6.15 | 13 |
| 3 | 4.50 | 3.90 | 11 | 1.38 | 1.20 | 11 | 7.81 | 7.81 | 11 | 13.00 | 14 | 11 | 5.30 | 6.30 | 11 |
| 4 | 4.20 | 3.60 | 10 | 1.29 | 1.17 | 10 | 6.91 | 6.91 | 10 | 13.30 | 14.30 | 10 | 5.45 | 6.45 | 10 |
| 5 | 3.90 | 3.30 | 8 | 1.20 | 1.08 | 8 | 6.01 | 6.01 | 8 | 14.00 | 15 | 8 | 6.00 | 7.00 | 8 |
| 6 | 3.78 | 3.18 | 7 | 1.17 | 1.02 | 7 | 5.41 | 5.41 | 7 | 14.30 | 15.30 | 7 | 6.15 | 7.15 | 7 |
| 7 | 3.60 | 3.00 | 6 | 1.08 | 0.96 | 6 | 4.80 | 4.80 | 6 | 15.00 | 16 | 6 | 6.30 | 7.30 | 6 |
| 8 | 3.48 | 2.88 | 4 | 0.99 | 0.90 | 4 | 4.20 | 4.20 | 4 | 15.30 | 16.30 | 4 | 6.45 | 7.45 | 4 |
| 9 | 3.30 | 2.70 | 3 | 0.90 | 0.63 | 3 | 3.60 | 3.60 | 3 | 16.00 | 17 | 3 | 7.00 | 8.00 | 3 |
| 10 | 3.18 | 2.58 | 2 | 0.87 | 0.84 | 2 | 3.00 | 3.00 | 2 | 16.30 | 17.30 | 2 | 7.15 | 8.15 | 2 |

(5) यातायात नियन्त्रण ड्रिल—

कालाँश-26

पूर्णांक - 25

क0 मद

कालाँश अंक

- 01- ड्राइवर के संकेत
02- ट्रैफिक संकेत (हाथ द्वारा)
03- ट्रैफिक राडार
04- रोड लाइन्स
05- पार्किंग

- 06 05
- 06 10
- 05 05
- 04 02
- 05 03

योग - 26 25

(6) भीड नियन्त्रण (बलवा) ड्रिल -

कालाँश-36

पूर्णांक- 25

क0 मद

कालाँश अंक

- 01- बलवा ड्रिल
02- बेंत ड्रिल
03- टियर स्मोक व रबड़ बुलेट

- 18 10
-10 07
-08 08

योग - 36 25

(7) फील्ड काफ्ट टैक्टिक्स एवं जंगल ट्रेनिंग -

कालाँश-65

पूर्णांक-100

कालाँश-50

पूर्णांक-75

1-(अ) फील्ड क्राफ्ट

कालाँश-50

अंक-25

1. देखभाल-1. जमीन का अध्ययन
2. चीजों क्यों नजर आती हैं
3. छदम व छुपाव
4. फासले का अनुमान लगाना
5. रात्रि सन्तरी के कर्तव्य
2. जमीनी निशानों, तारगेटों का बयान व पहिचान
3. फायर कन्ट्रोल आर्डर एवं (अनुशासन)डिसीप्लीन
4. खाली हाथ व हथियार के साथ हरकत करना (जंगी चालें)
5. सामान्य रूकावटों को पार करना व फायर पोजीशन चुनना
6. दिन व रात के वक्त दुश्मन की ताक में दबे पाँव चलना (स्टाकिंग बॉर्ड डे व नाइट)

(ब) टेक्टिक्स आदि :-

कालाँश-

अंक-50

1. फौजी टेक्टिकल शब्दों का ज्ञान
2. आतंकवादी क्षेत्र में पुलिस पोस्ट लगाना
3. आतंकवादियों की कार्यपद्धति का ज्ञान

आतंकवाद क्या है ? संक्षिप्त इतिहास— प्रभाव

- विश्व के प्रमुख आतंकवादी संगठन एवं उनकी कार्य प्रणाली
- भारत को प्रभावित करने वाले प्रमुख आतंकी संगठन एवं उनकी कार्यप्रणाली
- आतंकवाद की वृद्धि के पीछे मुख्य कारण
- आतंकवाद की फण्डिंग
- स्लीपर सेल
- आतंकवाद को समाप्त करने में पुलिस/सेना/अर्द्धसैनिक बल की भूमिका
- आतंकवाद के बदलते आयाम

4. मोबाईल चैक पोस्ट
5. सेक्शन व प्लाटून फॉर्मेशन एवं चान्स इन्काउण्टर
6. स्काउट
7. पेट्रोलिंग
8. वर्बल ऑर्डर तथा ब्रीफिंग
9. रोड ब्लॉक/ कॉन्वॉय और स्कोर्ट
10. फील्ड सिग्नल्स
11. रैन्ज कार्ड बनाना
12. बूबी ट्रेप्स
13. एम्बुश व काउण्टर एम्बुश
14. दबिश
15. एण्टी डकैती स्कीम-

- (1) गाँव, मकान व खेत में छिपे डकैतों को गिरफ्तार करना
- (2) बस व रेल से यात्रा के समय डकैतों को गिरफ्तार करना

16. काउण्टर इन्सरजेन्सी अभियान-

- (1) घेराबन्दी (2) ड्राइव फॉर हण्ट (3) फायर फ्लश (4) काम्बिंग, तलाशी

17. मैप रीडिंग- सामान्य जानकारी, मैप, दिशाओं का ज्ञान, दिन व रात्रि में नक्शा सेट करना

18 कम्पास- सामान्य जानकारी, सेट करना, कम्पास की सहायता से रात्रि में मार्च करना आदि

19. नाईट नेविगेशन— पार्टियों के बारे में जानकारी, नाईट मार्च, चार्ट बनाना, नेविगेशन पार्टी की मदद से नाईट मार्च

21. सैण्ड मॉडल— सामान्य जानकारी, ब्रीफिंग का तरीका आदि

21. I.E. D. क्या है—

- IED के प्रकार / कमाण्ड मैकेनिज्म
- कैसे पहचान की जाये
- सम्भावित स्थल जहाँ IED लगाया
- Counter IED Measures
- Action on IED Attack
- Material may be obtained from National Bomb Data Center (NBDC), NSG.

2—मूल्यांकन—

कालाँश— 15

अंक—25

- 1— छिपाव हासिल करते हुए कॉलिंग मय हथियार
- 2— घर के अन्दर छिपे हुए सशस्त्र व्यक्ति को निष्क्य करके गिरफ्तार करना
- 3— जंगल में मार्च मय पूर्ण टेक्टिकल सावधानी से 8 से 10 के समूह में
- 4— वाहन से जंगल / उबड़-खाबड़ / पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा
- 5— गन्ने के खेत की तलाशी
- 6— रात्रि में सड़क पर पूर्ण टेक्टिकल तैयारी के साथ वाहनों की चेकिंग
- 7— बीहड़ में गश्त / कांभिंग

नोट— इसका अभ्यास लगातार कराया जाय। इन बिन्दुओं पर मूल्यांकन एक सैन्य सहायक तथा आई0टी0आई0 द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(8)—अश्वारोहण प्रशिक्षण—

कालाँश—115

पूर्णांक — 75

| क0 | मद | कालाँश | अंक |
|-----|----------------------------------|--------|-----|
| 01— | अस्तबल प्रबन्धन | — 03 | 06 |
| 02— | सैडलिंग / ब्रिडलिंग | — 04 | 05 |
| 03— | टर्नआउट / चढ़ना एवं उतरना | — 05 | 08 |
| 04— | कदम चाल | — 08 | |
| 05— | दुलकी चाल (ट्रॉट) | — 22 | 15 |
| 06— | धीमी सरपट (केन्टर) | — 22 | |
| 07— | सरपट, दौड़ (गेलप) व टेन्ट पेगिंग | — 18 | |
| 08— | जम्प | — 10 | 12 |
| 09— | ट्रुप ड्रिल | — 06 | 05 |

| | | |
|---------------------------|------|----|
| 10- ड्यूटी आफ सेन्टर गाइड | - 04 | 03 |
| 11- ड्यूटी आफ टुप लीडर | - 07 | 04 |
| 12- माउण्टेड सोर्ड ड्रिल | - 06 | 05 |

योग - 115 75

(9) मोटर ड्राइविंग

कालाँश-30

पूर्णांक - 50

| क्र० | मद | कालाँश | अंक |
|------|--|--------|-----|
| 01- | ड्राइविंग फारवर्ड | - 10 | 10 |
| 02- | ड्राइविंग रिवर्स | - 08 | 10 |
| 03- | दिये गये आकार में रिवर्स व फारवर्ड ड्राइविंग | - 05 | 15 |
| 04- | टेक्टिकल ड्राइविंग | - 07 | 15 |


योग -30 50

(10) तैराकी

कालाँश -60

पूर्णांक-50

| क्रम संख्या | 50 मीटर फ्री स्टाइल तैरने का समय मिनट:सेकेण्ड | | अंक |
|-------------|---|-------|-----|
| | पुरुष | महिला | |
| 1 | 0.50 | 1.00 | 50 |
| 2 | 1.00 | 1.10 | 45 |
| 3 | 1.10 | 1.20 | 40 |
| 4 | 1.20 | 1.30 | 35 |
| 5 | 1.30 | 1.40 | 30 |
| 6 | 1.40 | 1.50 | 25 |
| 7 | 1.50 | 1.60 | 20 |
| 8 | 1.60 | 1.70 | 15 |


7/3/18

(ओ०पी०सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस उपाधीक्षक(सीधी भर्ती)

जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण

विषय वस्तु

- (अ) प्रशिक्षण की रूपरेखा
(ब) जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश
(स) निर्दिष्ट कार्य / (Assignments)
(द) व्यावहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन
(य) निदेशक द्वारा मूल्यांकन

संलग्नक

- (I) साप्ताहिक डायरी
(II) जनपदीय प्रशिक्षण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
(III) विवेचना किये गये मामलों की रिपोर्ट लिखने का प्रारूप
(IV) पुलिस उपाधीक्षक (परि०) के जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण मूल्यांकन करने का प्रारूप

विशेष—प्रोबेशनर जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान जो भी कार्य देखें या समझें, उनका मिलान अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान दिये गये ज्ञान, कौशल तथा वांछित मनोवृत्ति से करके तथा अपनी प्रशिक्षण पंजी में लिखेंगे कि जनपद में कितना और कहाँ-कहाँ विचलन हो रहा है। उन्हें जनपदीय पुलिस के कार्य-कलापों में आ गये विचलन से स्वयं विचलित नहीं होना है।

ए- प्रशिक्षण की रूपरेखा

प्रोबेशनरी पुलिस उपाधीक्षकों का जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रोग्राम निम्नवत् होगा-

| क्र.सं. | मद | अवधि |
|---------|---|------------------|
| 1 | जनपद पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सम्बद्धता (जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों से सम्बद्धता करते हुए) | 30 दिवस |
| 2 | प्रतिसार निरीक्षक के साथ सम्बद्धता | 7 दिवस |
| 3 | नगरीय थाने से सम्बद्धता | 15 दिवस |
| 4 | वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के साथ सम्बद्धता | 7 दिवस |
| 5 | ग्रामीण थाने से सम्बद्धता | 15 दिवस |
| 6 | एक ग्रामीण थाने का स्वतंत्र प्रभार | 60 दिवस |
| 7 | क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता | 15 दिवस |
| | संपूर्ण प्रोग्राम | 149 दिवस (5 माह) |

तारीखवार विस्तृत प्रोग्राम जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया जायेगा, जिसकी एक प्रति कोर्स निदेशक डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद को भेजी जायेगी।

बी. जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश

4. प्रोबेशनरी पुलिस उपाधीक्षकों का जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रोग्राम निम्नवत् होगा—

जनपद में आगमन करने के ठीक बाद प्रोबेशनर जनपद के पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला जज से औपचारिक मुलाकात करेंगे। वे जनपद में अवस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण से भी मुलाकात करेंगे।

इस अवधि में प्रोबेशनर पुलिस अधीक्षक के गोपनीय/कैम्प कार्यालय प्रतिदिन जायेंगे एवं उनके साथ भ्रमण में भी जहाँ तक सम्भव हो जायेंगे व पुलिस की आयी समस्याओं एवं उनके विरुद्ध आयी शिकायतों तथा इन पर कार्यवाही के तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वे जनपद नियंत्रण कक्ष की कार्य प्रणाली समझेंगे तथा जनपद की दंगा नियंत्रण योजना, आन्तरिक सुरक्षा योजना तथा वॉरबुक की जानकारी प्राप्त करेंगे।

प्रोबेशनर निम्न कार्यवाही की गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे—

1. चौकीदारों की नियुक्ति एवं उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यवाही
2. लोक शिकायतों एवं अहस्तक्षेपीय एफ.आई.आर. का निस्तारण
3. शस्त्र लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही
4. एन.एस.ए. के प्रकरण तैयार करना एवं अन्य सुसंगत कार्यवाही
5. अभियोजन शाखा का पर्यवेक्षण
6. स्थानीय नगर निकाय की कार्य पद्धति
7. आबकारी विभाग की कार्य पद्धति
8. वन विभाग की कार्य पद्धति
9. परिवहन विभाग की कार्य पद्धति
10. लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति
11. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कार्य पद्धति
12. विद्युत विभाग की कार्य पद्धति
13. व्यापार कर विभाग की कार्य पद्धति
14. सिंचाई विभाग की कार्य पद्धति
15. कारागार विभाग की कार्य पद्धति

पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य कार्यालयों में सम्बद्धता का तारीखवार प्रोग्राम जारी करेंगे, जिसकी अवधि 7-10 दिन होगी।

इस सम्बद्धता का उद्देश्य अन्तर्विभागीय समन्वय में सुधार लाना है। इस दौरान प्रोवेशनर इन विभागों की कार्यवाही समझेंगे तथा (I) इन विभागों का पुलिस के साथ सम्पर्क (II) इनकी पुलिस से अपेक्षायें तथा (III) इन विभागों द्वारा पुलिस की ओर से अनुभूत कठिनाइयों को समझेंगे।

पुलिस अधीक्षक लेखा कार्यालय में प्रोवेशनर निम्न बिन्दुओं को खासकर समझेंगे:-

- (1) वित्तीय नियम एवं लेखा नियम पढ़ेंगे
- (2) केशबुक लिखेंगे
- (3) वेतन बिल तैयार करना
- (4) कन्टीजेन्सी बिल तैयार करना
- (5) रोके गये वेतन का रजिस्टर
- (6) वसूली रजिस्टर
- (7) कैजुअल्टी रजिस्टर
- (8) नकदी का मासिक सत्यापन
- (9) बजट अनुमान तैयार करना
- (10) यात्रा भत्ता देयक तैयार करना
- (11) व्यय की वित्तीय बजट मानक मदों में कटिंग

पुलिस अधीक्षक के पत्र व्यवहार कार्यालय में वे निम्न बिन्दुओं को खासकर समझेंगे-

यह प्राप्त पत्राचार पृष्ठाकन में उन पर कृत कार्यवाही

- (2) प्रस्ताव तैयार करना
- (3) लेखन सामग्री का मांगपत्र एवं स्थानीय खरीद
- (4) पत्रों की झार्पिंग
- (5) पुरस्कार रोल तैयार करना
- (6) पुरस्कार स्वीकृत एवं घोषित करने की प्रक्रिया
- (7) सेवा अभिलेखों में पुरस्कार की प्रविष्टि
- (8) चरित्र पंजिका का अध्ययन एवं विभिन्न भागों में प्रविष्टिया
- (9) सेवा पुस्तिका का अध्ययन एवं प्रविष्टिया
- (10) पेशान प्रकरण तैयार करना एवं लम्बित प्रकरणों का अनुश्रवण अपराध शाखा (पेशी पुलिस अधीक्षक) में वे अपराध रजिस्टर, विशेष आख्या पत्रावली, मफरूर रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। यहाँ वे पर्यवेक्षण आख्या एवं क्रमागत आख्या लिखना समझेंगे।

जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो की कार्य प्रणाली एवं अभिलेखों की जानकारी करेंगे। वे सीसीटीएनएस की विषय रूप से जानकारी करेंगे। जनपदीय अभिसूचना इकाई की कार्य प्रणाली की गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे खासकर-

- (1) अभिसूचना के विरुद्ध
- (2) गोपनीय पत्राचार साइफर प्रणाली
- (3) साप्ताहिक डायरी
- (4) इण्डेक्स एवं सन्दर्भ
- (5) वीवीआईपी सुरक्षा
- (6) मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना

इस सम्बद्धता के दौरान प्रोबेशनर (1) पुलिस लाइन का निरीक्षक (2) थाने का निरीक्षण (3) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की जा रही विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहकर इसे समझेंगे। वे एक फाइडिंग तथा दण्डादेश झापट करेंगे।

2. प्रतिसार निरीक्षक के साथ सम्बद्धता

इस दौरान खासकर सीखने वाले बिन्दु—

- (1) पुलिस लाइन की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित पुलिस रेग्यूलेशन के प्रावधान
 - (2) पुलिस लाइन के अभिलेख
 - (3) हवालात ड्यूटी की रिपोर्ट/ड्यूटी लगाना
 - (4) एच.ओ.बी. लिखना
 - (5) अर्दली रूम रजिस्टर में प्रविष्टिया करना
 - (6) वर्दी भण्डार—वर्दी वस्तुओं की खरीद, मांग तथा वर्दी पूर्ण एवं दुरुस्त रखना
 - (7) राजकीय सम्पत्ति—स्टाक बुक—कण्डम करना—नीलामी
 - (8) शस्त्रागार—मैगजीन—स्टाक रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख
 - (9) फायरिंग अभ्यास
 - (10) गोला—बारूद का मॉगपत्र
 - (11) परिवहन शाखा—रन रजिस्टर—मरम्मत—कण्डम करना।
- इसी दौरान वे अग्निशमन शाख की कार्य प्रणाली समझेंगे तथा अग्निशमन केन्द्र के निरीक्षण की जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इसके प्रशिक्षण एवं अभ्यास को भी देखेंगे।

3. नगरीय थाने में सम्बद्धता

इस दौरान निम्न बिन्दुओं पर खास ध्यान दिया जायेगा—

- (1) थाने के अभिलेख
- (2) वे स्वयं रात्रि गश्त करेंगे तथा कर्मचारियों की निगरानी करेंगे
- (3) सम्मन वारण्ट तामीला
- (4) विवेचकों के साथ रहकर विवेचना की व्यावहारिक समझ प्राप्त करेंगे
- (5) वे अभिसूचना एकत्र करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूँछताँछ
- (6) नगरीय पुलिसिंग की विशेषतायें—दंगा नियंत्रण कक्ष
- (7) आरक्षी/मुख्य आरक्षी/थाना प्रभारी की ड्यूटी करेंगे
- (8) यातायात नियंत्रण ड्यूटी भी कम से कम 2 घंटे एक बार में कुल—3 बार
- (9) अहस्तक्षेपीय एफ.आई.आर. पर कृत कार्यवाही।

4. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के साथ सम्बद्धता

इस दौरान निम्न बिन्दुओं पर खास ध्यान दिया जायेगा—

- (1) पी.ओ.द्वारा रखे जा रहे अभिलेख एवं रजिस्टर
- (2) मालखाना, इसके अभिलेख—मालों का प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण
- (3) दोष मुक्ति आख्यायें
- (4) मजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय में उपस्थित रहकर इनकी कार्य पद्धति को समझना।

- (5) थानों से प्राप्त आरोप पत्र अन्तिम रिपोर्ट पढ़कर उन पर ब्रीफ तैयार करना
- (6) जमानत/बन्धपत्र का रजिस्टर (न्यायालय)
- (7) सही पहचान न ज्ञात होने वाले अभियुक्तों के प्रकरणों में कार्यवाही

5— ग्रामीण क्षेत्र के थाने का स्वतंत्र रूप से प्रभार ग्रहण करना

प्रोवेशनर नियमित रूप से थाने के प्रभारी होंगे। वे कम से कम 5 अभियोगों की विवेचना करेंगे। वे साप्ताहिक डायरी लिखेंगे। इस दौरान जनपदीय पुलिस अधीक्षक को एक बार थाने का निरीक्षण करना चाहिए।

6—क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता

इस दौरान निम्न बिन्दुओं पर खास ध्यान दिया जायेगा

- (1) क्षेत्राधिकारी के कार्यालय के अभिलेख
- (2) वे क्षेत्राधिकारी के साथ महत्वपूर्ण घटनास्थलों के निरीक्षण में रहेंगे तथा पर्यवेक्षण आख्या लिखना सीखेंगे
- (3) विशेष आख्या पत्रावली में केस डायरी का सारांश लिखना तथा कमागत आख्या लिखना
- (4) चौकीदारों की परेड/मीटिंग
- (5) आपराधिक अभिसूचना एकत्र करना
- (6) परगना मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध
- (7) यातायात प्रबन्धन छोटे कस्बों में
- (8) शान्ति-व्यवस्था की घटना से निपटना

सी— असाइनमेन्ट (निर्दिष्ट कार्य)

व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रोवेशनर्स निम्न आख्यों/अभिलेख तैयार करेंगे।

(1) दैनिक डायरी:—

पूर्व में निर्धारित प्रशिक्षण रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन के किया कलाप अंकित करेंगे। इसका प्रारूप इस परिशिष्ट के संलग्नक-1 में दिया गया है। वे प्रति सप्ताह डायरी पुलिस अधीक्षक को दिखायेंगे। पुलिस अधीक्षक इसे देखकर तथा प्रोवेशनर से साक्षात्कार करके अपनी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे। प्रोवेशनर प्रत्येक माह के अन्त में डायरी की फोटो प्रति स्वप्रमाणित कर अपने कोर्स निदेशक को भेजेंगे। कोर्स निदेशक यदि समझें कि प्रशिक्षण में कोई कमी है या कोई खास बिन्दु कम ध्यान पा रहा है तो वे पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट पत्र लिख कर इसे ठीक करायेंगे।

जब प्रोवेशनर डि-ब्रीफिंग हेतु अकादमी आते हैं तो पूरा रजिस्टर अपने कोर्स डाइरेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

ये डायरियाँ दिन-प्रतिदिन लिखी जायें एवं आवश्यक सुस्पष्ट फोटो, स्केच, प्लान, अखबार की कटिंग इत्यादि संलग्न की जायें।

2. **जनपद प्रशिक्षण प्रोजेक्ट**— प्रोबेशनर इस परिशिष्ट के संलग्नक-2 के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके साथ मानचित्र, फोटोग्राफ इत्यादि भी संलग्न किये जा सकते हैं।

प्रोबेशनर प्रोजेक्ट प्रारूप में दिये गये प्रश्नों के उत्तर अपने हस्तलेख में अंकित करेंगे। वे इन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम लिखेंगे जिससे उनका साक्षात्कार/वार्तालाप हुआ है।

3. **निरीक्षण टिप्पणी**— प्रोबेशनर व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान एक थाने का विस्तृत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या अपने हस्तलेख में लिखेंगे। वे इस आख्या को पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे जो इसे पढ़कर अपनी टिप्पणी के साथ प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। वे इस आख्या को डि-ब्रीफिंग के साथ कोर्स डाइरेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। वे अपने पास एक फोटो प्रति रखेंगे। यदि पुलिस अधीक्षक उन्हें किसी अन्य थाने के निरीक्षण हेतु न निर्देशित करें तो वे स्वयं के प्रभार के थाने का निरीक्षण करके आख्या तैयार करेंगे।

4. **अभियोगों की विवेचना एवं अन्य कार्य की रिपोर्ट**—प्रोबेशनर उनके द्वारा विवेचना किये गये अभियोग तथा अन्य कार्य की रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट निम्न श्रेणी की होगी—

- (क) अप्राकृतिक मृत्यु
- (ख) दुर्घटना प्रकरण
- (ग) दंगा
- (घ) सम्पत्ति का अपराध
- (ङ) अनु.जाति/ज.जा.अधिनियम प्रकरण
- (च) दहेज मृत्यु केस
- (छ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम केस
- (ज) प्रार्थना पत्र की जाँच एवं जाँच आख्या
- (झ) घटना/प्रवेशन/जुलूस इत्यादि की बन्दोबस्त ड्यूटी
- (ट) जमानत विरोध प्रपत्र
- (ठ) अभिरक्षा में मृत्यु/उत्पीड़न की जाँच रिपोर्ट
- (ड) पुलिस फायरिंग पर जाँच आख्या
- (ढ) रा0सु0का0के अन्तर्गत निरुद्धि हेतु आख्या

ये रिपोर्ट इस परिशिष्ट के संलग्नक-3 में दिये गये प्रारूप में होगी तथा प्रोबेशनर के स्वयं के हस्तलेख में होगी। इनके साथ फोटोग्राम,समाचार पत्र की कटिंग इत्यादि लगाये जायें। प्रोबेशनर ऐसे अवसरों पर अपने साथ कैमरा रखेंगे।

5. **केस स्टडी**—प्रोबेशनर शान्ति व्यवस्था की घटनाओं पर दो केस स्टडी निम्नवत् तैयार करेंगे—

- (1) ऐसी स्थिति जिसमें अग्रिम प्लानिंग,अभिसूचना एवं सामयिक हस्तक्षेप से स्थिति सही ढंग से नियंत्रित कर ली गयी हो।

- (2) ऐसी स्थिति जिसमें उपरोक्तानुसार कार्यवाही की कमी के कारण या उक्त कार्यवाही के बावजूद प्रभावी नियंत्रण न हो पाया हो।

6- मानवाधिकार एवं अन्य मुद्दों पर रिपोर्ट—निम्न बिन्दुओं को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट मानवाधिकार एवं तत्सम्बन्धी मुद्दों पर तैयार की जायेगी—

- (1) पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन एवं उनके द्वारा पुलिस को संवेदनशील बनाये जाने पर कृत कार्यवाही।
- (2) निम्न मुद्दों पर किये गये प्रयास (क) ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग (ख) नगरीय क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग (ग) पुलिस की छवि में सुधार कराना।
- (3) लैंगिक मुद्दों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाये जाने के लिए कृत कार्य।

7. रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण—सभी रिपोर्ट डि-ब्रीफिंग के समय कोर्स डाइरेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी। रिपोर्ट न प्रस्तुत करने पर उन्हें अतिरिक्त समय देकर एक मौका और दिया जाये। प्रोबेशन के दौरान सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-528 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनके प्रोबेशनर को बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

डी. व्यावहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन

व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनर के कार्य का मूल्यांकन निम्नानुसार जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस परिशिष्ट के संलग्नक-4 के प्रारूप में किया जायेगा। वे अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को भेजेंगे जो प्रोबेशनर का गहन साक्षात्कार करके उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। वे इसकी एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को भेजेंगे।

इ. परामर्शी की नियुक्ति—

अकादमी के एक अधिकारी को कतिपय परिक्षेत्र/जोन के लिये प्रोबेशनर्स का परामर्शी नामित किया जायेगा। परामर्शी प्रत्येक का भ्रमण व्यावहारिक प्रशिक्षण के द्वितीय माह तथा चतुर्थ माह में करेंगे। वे प्रोबेशनर्स से साक्षात्कार करके प्रशिक्षण की स्थिति एवं प्रगति ज्ञात करेंगे तथा पुलिस अधीक्षक से विमर्श करके उचित सलाह देंगे। वे परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जोनल पुलिस महानिरीक्षक से भी मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

एफ. निदेशक का मूल्यांकन

निदेशक द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे।

- (1) प्रोबेशनर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की मौलिकता, प्रस्तुतीकरण, विवरण की गम्भीरता, ज़रूफिटिंग एवं स्वच्छता

| | |
|--|----|
| (2) जनपद पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा मूल्यांकन | 25 |
| (3) साक्षात्कार | 25 |

कुल 100 अंक

नोट—(1) प्रस्तर-528 पुलिस रेगुलेशन के आधार पर प्रोबेशनर को संलग्नक-4 के प्रस्तर-8 में दिये गये प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

(2) निदेशक के मूल्यांकन में 60 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।

(3) यदि उपर्युक्त 1 एवं 2 में प्रोबेशनर असफल रहता है तो उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण एक माह के लिये बढ़ा दिया जायेगा और तदुपरान्त उसे उक्तानुसार प्रमाणपत्र या और अंक प्राप्त करने होंगे।

संलग्नक-1

साप्ताहिक डायरी

परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम:

जनपद

वर्तमान सम्बद्धता

कब से

डायरी का सप्ताह (अवधि)

| क्र. सं० | तारीख/समय | प्रशिक्षण का विवरण/किये गये कार्य का विवरण |
|----------|-----------|--|
| | | |

सीखने के बिन्दुओं पर टिप्पणी:

प्रणाली में पाये गये कमियाँ/ दोष :

सुधार के लिए उठाये/ सुझाये गये कदम:

तारीख

हस्ताक्षर

पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी

जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम:-प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिबीक्षाधीन अधिकारी का नाम:

जनपद

पुलिस कार्यालय एवं आंकिक भाखा जिसमें महत्वपूर्ण एफआरएस/एसआरएस/जीएसआरएस, वर्दी उपकरण,अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस की प्राप्ति एवं रख-रखाव।

- 1- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखा ?
- 2- प्रत्येक शाखा का कार्य क्या है,सूचीबद्ध करें ?
- 3- विभिन्न शाखा प्रभारियों के कर्तव्य ?
- 4- विभिन्न शाखाओं का पर्यवेक्षण कौन-2 करता है ?
- 5- विभिन्न शाखाओं के कार्य में आने वाली कठिनाइयाँ ?
- 6- पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रकार के पत्राचार ? उनको सूचीबद्ध करें यथा पत्र,प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायती प्रार्थना-पत्र,वायरलेस संदेश इत्यादि।
- 7- पुलिस बल में वेतन बिल का तैयार किया जाना, आहरण/वितरण किस प्रकार किया जाता है।
- 8- अराजपत्रित अधिकारियों तथा आरक्षीगण का यात्रा-भत्ता देयक कैसे तैयार किया जाता है।
- 9- पुलिस बल में वर्दी,उपकरण,शस्त्र तथा कारतूस प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करें।
- 10- फर्नीचर एवं अन्य उपकरण जैसे मोटर वाहन के लिए बैट्री आदि कय किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करें।
- 11- वाहन की मरम्मत की प्रक्रिया तथा पी.ओ.एल. के वितरण की प्रक्रिया।
- 12- वर्दी, उपकरण, शस्त्र तथा कारतूस के रख-रखाव तथा उसके वितरण एवं रख-रखाव की प्रक्रिया।
- 13- मासिक अपराध बैठक किस प्रकार आयोजित की जाती है।

पुलिस का आन्तरिक प्रबन्धन जैसे भर्ती एवं प्रशिक्षण, पुरस्कार एवं दण्ड, मनोबल एवं अनुशासन, आदेश कक्ष के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी के अधिकार।

- 1- आरक्षी की भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन करें, जिसमें योग्यता, निर्धारित परीक्षा एवं आरक्षण इत्यादि को स्पष्ट करें ? पिछली भर्ती में भर्ती हुए आरक्षियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में टिप्पणी ?
- 2- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा जाता है ? उनके प्रशिक्षण की क्या विषय-वस्तु है ? भर्ती एवं प्रशिक्षण के मध्य औसत समय अन्तराल क्या है ? क्या पिछली दो भर्तियों में लिये गये सभी आरक्षीगण द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है?
- 3- वृहद तथा लघु दण्ड देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक के अधिकार
- 4- पुरस्कार देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक के अधिकार ?
- 5- व्यक्ति द्वारा किये गये सराहनीय कार्य तथा उसके द्वारा उस सम्बन्ध में घोषित पुरस्कार को प्राप्त करने में लगने वाला समय ? किसी वर्ष में प्राप्त 04 पुरस्कारों तथा उससे सम्बन्धित सराहनीय कार्य के तिथि की जानकारी करें।
- 6- अधीनस्थ अधिकारियों को दिये जाने वाले पुरस्कार की प्रक्रिया क्या है ? पुरस्कार की धनराशि किस प्रकार निश्चित की जाती है ? पुरस्कार की धनराशि का निर्धारण किये गये सराहनीय कार्य या अधिकारी की श्रेणी के आधार पर की जाती है ? क्या सराहनीय कार्यों का विस्तृत विवरण सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाता है ?
- 7- आदेश कक्ष में आरक्षियों पर लगने वाले 03 प्रमुख आरोप क्या हैं ? आदेश कक्ष कब-2 होता है ?
- 8- पिछले 04 वर्षों में आदेश कक्ष में प्रस्तुत होने वाले कर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी हुई है ?
- 9- अधिकारियों/कर्मचारियों के मनोबल की स्थिति क्या है तथा उसका मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं (इसके क्या संकेतक हैं)

क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता

- 1- क्षेत्राधिकारी कार्यालय में कौन से अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है?
- 2- गम्भीर अपराधों की पर्यवेक्षण आख्या किस प्रकार से तैयार की जाता है ?
- 3- क्षेत्राधिकारी द्वारा कितना समय निम्न कार्य में लगाया जाता है ?
(अ) अपराध के घटना स्थल पर जाना एवं अपराधों का पर्यवेक्षण
(ब) कानून-व्यवस्था एवं अन्य विभिन्न कर्तव्य
- 4- निम्न का संक्षिप्त वर्णन करो -
(अ) अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दुराचरण का आरोप
(ब) जनता के द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच
- 5- क्षेत्राधिकारी कार्यालय में नक्शा पारितोषिक तैयार किया जाता है ?
- 6- क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों का कितनी बार निरीक्षण करना चाहिये ?
- 7- क्षेत्राधिकारी द्वारा वास्तविकता में कितनी बार पुलिस थानों का निरीक्षण किया जाता है ।
- 8- जनता द्वारा की गयी शिकायतें जो क्षेत्राधिकारी को जाँच हेतु प्रेषित की जाती है,उसके पर्यवेक्षण की विधि क्या है ? इनमें से कितनी शिकायतों की जाँच स्वयं क्षेत्राधिकारी द्वारा वास्तविकता में की जाती है ।
- 9- क्या क्षेत्राधिकारी द्वारा सभी विशेष अपराध मामलों की केस डायरी पूर्ण कर ली गयी है ?

IV

विभागीय कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया

- 1- विभागीय कार्यवाही किये जाने के विभिन्न चरण क्या हैं?
- 2- जनपद में कितनी विभागीय कार्यवाही लम्बित हैं ? सबसे पुरानी विभागीय कार्यवाही कौन सी है?
- 3- विभागीय कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं ?
- 4- लम्बित विभागीय कार्यवाही कम किये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?
- 5- आपके जिला प्रशिक्षण के दौरान कितनी विभागीय कार्यवाही की गयी तथा कितनी पूर्ण की गयी ? सूची प्रस्तुत करें। आपके द्वारा आरोपों का निर्धारण अथवा विभागीय कार्यवाही में यदि कोई त्रुटि देखी गयी, तो उसको सूचीबद्ध करें।

V

अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों का परिवेदना निवारण सामूहिक परिवेदना

- 1- अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की क्या शिकायतें हैं?
- 2- इन शिकायतों के निवारण हेतु क्या प्रक्रिया है ?
- 3- यह प्रक्रिया कितनी प्रभावी है ?
- 4- निम्न के सम्बन्ध में आपके क्या सुझाव हैं ?
(अ) एक नई प्रक्रिया की उत्पत्ति यदि मौजूदा प्रक्रिया प्रभावहीन है ।
(ब) मौजूदा प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना ।
- 5- कितने अवसरों पर आपके द्वारा अपने कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की गयी तथा उनकी शिकायतों को सुना गया ? वार्तालाप से प्राप्त अनुभवों का संक्षिप्त में वर्णन करो ?

VI

कल्याण

- 1- आपके जनपद में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारीजनों के लिए कौन-2 सी कल्याणकारी योजनाएं प्रचलित हैं?
- 2- इन योजनाओं के प्रभाव के सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों का क्या फीडबैक है ?
- 3- नई कल्याणकारी योजनाओं को आपके जिले के थानों के स्तर पर लागू करने की क्या गुंजाइश है ?

VII

जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा थानों का निरीक्षण

- 1- पुलिस थानों की संख्या, जिनका निरीक्षण किया जाता है, को दर्शाते हुए पुलिस अधीक्षक से क्षेत्राधिकारी तक एक निरीक्षण कार्ययोजना तैयार करें तथा विगत वर्ष में कितने पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया था, भी दर्शाएँ ?
- 2- यदि निरीक्षण पूर्ण नहीं किये गये तो उनका क्या कारण रहा ?
- 3- निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कितनी गम्भीरता से निरीक्षण नोट का अनुपालन किया गया (किन्हीं 03 आइटम को चिन्हित करें)
- 4- पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना एवं चौकी के निरीक्षण के दौरान कितनी बार आप उनके साथ रहे ?
- 5- निरीक्षण का अन्तिम परिणाम क्या रहा? निरीक्षण के परिणामों को और अनुकूल बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं?

VIII

दण्ड न्याय व्यवस्था

- 1- जिला की न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना क्या है ?
- 2- आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने के बाद, मुकदमे की सुनवाई की क्या प्रक्रिया है?
- 3- अपराधिक मुकदमों से सम्बन्धित पुलिस विभाग, न्यायपालिका एवं अभियोजन द्वारा कौन-2 से रजिस्टर/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है ?
- 4- न्यायालय में मुकदमे लम्बित रहने के क्या मुख्य कारण हैं ?
- 5- गैर जमानती अपराधों के अभियुक्तों द्वारा आसानी से जमानत पाने के क्या कारण हैं (परिवीक्षाधीन अधिकारियों के द्वारा कम से कम 04 जमानती सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे तथा इस सम्बन्ध में जारी आर्डर शीट का अवलोकन करेंगे)
- 6- दण्ड न्याय प्रक्रिया की विभिन्न इकाइयों का जिला स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित करने की क्या व्यवस्था है ?
- 7- अभियुक्तों के बरी होने के मुख्य कारण क्या हैं ? इस स्थिति को और सुधारने हेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

आंतरिक सुरक्षा योजना तथा दंगा नियंत्रण योजना की विस्तृत रूपरेखा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरूद्ध हेतु रिपोर्ट तैयार करना

1. दंगा नियंत्रण योजना पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
2. दंगा नियंत्रण योजना योजना किस तरह तैयार की जाती है?
3. यह किस अन्तराल पर अद्यावधिक की जाती है?
4. पिछली बार दंगा नियंत्रण योजना का कब पूर्वाभ्यास किया गया था तथा इसे क्रियान्वित करने में क्या समस्याएं आई थीं?
5. दंगा नियंत्रण योजना में अधीनस्थ अधिकारियों को दी गई भूमिका के बारे में उनकी जानकारी का स्तर कैसा था?
6. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव किस तरह तैयार किया जाता है?
7. कानून व्यवस्था ड्यूटी के साथ-साथ पुलिस बल के लिए सामान्य निर्देश का चार्ट (पुलिस बन्दोबस्त) किस तरह तैयार किया जाता है? (ग्रामीण मेला, त्यौहार, वी.आई.पी. भ्रमण, लोक अशान्ति आदि)

X

प्रशिक्षण की उपलब्धि

1. पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक से प्राप्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण परामर्श क्या रहे?

पुलिस उपाधीक्षक(प्रशिक्ष) के हस्ताक्षर

पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी

दिनांक:

हस्ताक्षर

विवेचित मामलों पर रिपोर्ट लिखने का प्रारूप

1. प्र0सू0रि0 संख्या
2. थाने का नाम
3. जिला/राज्य
4. घटना स्थल
5. घटना स्थल का समय व दिनाँक
6. शिकायतकर्ता का नाम व विवरण
7. विवेचनाधिकारी का नाम व पदनाम
8. प्रशिक्षु के व्यवहारिक प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि को मामले की अद्यावधिक स्थिति दर्शाते हुए विवेचना का विवरण

(इस प्रगति रिपोर्ट में लिखी गई केसडायरी, घटना स्थल का निरीक्षण, पूछताछ किये गये व्यक्तियों का विवरण, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विवरण, बरामद सम्पत्तियों का विवरण, मॉगी एवं प्राप्त की गई विशेषज्ञ की राय, विवेचना का अंतिम परिणाम जैसे आरोप पत्र/अंतिम आख्या, मामले में प्रशिक्षु द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख अवश्य होना चाहिए आदि।)

9. सीखने हेतु बिन्दु
10. पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं टिप्पणी

डा० भीमराव अम्बेडकर उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद

जनपद में पुलिस उपाधीक्षक(प्रशिक्षु) के व्यवहारिक प्रशिक्षण का
मूल्यांकन

प्रशिक्षु का नाम एवं बैच

1. व्यक्तिगत विवरण

1. नाम
2. बैच
3. जनपद सम्बद्धता कब से.....कब तक.....
4. जनपद का नाम
5. पुलिस अधीक्षकों के नाम जिनके साथ प्रशिक्षु सम्बद्ध था
6. प्रशिक्षु द्वारा उपभोग किये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश की अवधि

2. पुलिस अधीक्षक के साथ सम्बद्धता

(पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षु को दिये गये पुलिस की ड्यूटी, क्या बताया गया उसके प्रति प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया तथा उसे आत्मसात करने की प्रवृत्ति को रेखांकित किया जाना)

3. प्रतिसार निरीक्षक के साथ सम्बद्धता

(इस अवधि में प्रशिक्षु द्वारा सम्पादित की गई ड्यूटी, मन्तव्य)

4. जनपद मुख्यालय के थाने के साथ सम्बद्धता

(प्रशिक्षु द्वारा इस अवधि में क्या सीखा गया, क्षेत्राधिकारी का फीडबैक क्या रहा एवं पुलिस अधीक्षक का मन्तव्य)

5. अभियोजन अधिकारी के साथ सम्बद्धता

(प्रशिक्षु द्वारा कितने कोर्ट के मामले देखे गये तथा न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में की गई जानकारी का स्तर)

6. थाने का स्वतंत्र प्रभार

1. प्रशिक्षु द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई विवेचनाओं की संख्या एवं गुणवत्ता का विवरण
2. कानून व्यवस्था की समस्या को सुलझाने में प्रशिक्षु की योग्यता पर टिप्पणी
3. क्या संख्या थी

- अ. भ्रमण किये गये गाँव
 - ब. चैक की गई बीट
 - स. निगरानी के कार्य
 - द. जाँच किये प्रार्थना पत्र
 - ड. रात्रि गश्त
4. समुदाय के साथ संबंध स्थापित किये जाने के संबंध में प्रशिक्षु द्वारा की गई पहल
 5. निम्न के संबंध में प्रशिक्षु का दृष्टिकोण
 - अ. शिकायतें
 - ब. याचिकाएं
 - स. कमजोर वर्ग
 6. क्षेत्राधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षु में देखे गये नेतृत्व संबंधी गुण
 7. पुलिसजनों के कल्याण हेतु प्रशिक्षु द्वारा क्या कार्य किये गये
 8. प्रशिक्षु द्वारा थाने के अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति
 9. नैतिक पुलिसिंग के संबंध में प्रशिक्षु का दृष्टिकोण
 10. उक्त अवधि में प्रशिक्षु द्वारा की गई पहल एवं शुरू की गई नई विचारधारा

7. क्षेत्राधिकारी के साथ सम्बद्धता

1. प्रशिक्षु द्वारा गम्भीर अपराधों के घटना स्थल के निरीक्षण की संख्या
2. प्रशिक्षु द्वारा प्रतिभाग किये गये निरीक्षणों की संख्या
3. कानून व्यवस्था ड्यूटी में प्रशिक्षण एक्सपोजर
4. प्रतिभाग की गई विभागीय कार्यवाहियों का विवरण
5. प्रशिक्षु द्वारा कितनी अपराध गोष्ठियों में प्रतिभाग किया गया तथा प्रशिक्षु का योगदान
6. देखे गये सत्र सुनवाई के मामलों की संख्या
7. सभी कार्यों के दौरान प्रशिक्षु द्वारा क्या ज्ञान अर्जित किया गया

8 सामान्य टिप्पणी—

इसके अन्तर्गत परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षक के व्यवहार एवं आदतें, अनुशासन, टर्न आउट, उपस्थिति, प्रशिक्षण में अभिरुचि, काम करने की पहल, पुलिस के

कार्यों में नया दृष्टिकोण, सामाजिक शिष्टाचार आदि के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी की जाय।

9. प्रमाण पत्र—

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-528 के अनुसार पुलिस अधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक (परि०) के संबंध में निम्न आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि—

- क. वह जनरल डायरी और केसडायरियों पर उचित आदेश पारित कर सकता है।
- ख. वह दक्षतापूर्वक किसी अन्वेषण का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन कर सकता है।
- ग. वह दक्षतापूर्वक किसी थाने का निरीक्षण कर सकता है।
- घ. वह पुलिस आंकिक शाखा के कार्य का दक्षतापूर्वक पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन कर सकता है।
- ङ. वह पुलिस ऐक्ट की धारा-7 के अधीन विभागीय कार्यवाहियाँ दक्षतापूर्वक सम्पादित कर सकता है।

पुलिस अधीक्षक

हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
जनपद
दिनांक

परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक की टिप्पणी

हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
परिक्षेत्र
दिनांक

हस्ताक्षर

नाग बड़े अक्षरों में

पदनाम

दिनांक



(ओ०पी०सिंह)

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

